SECOND PHASE OF MANKIKARAN (ADMINISTRATION CADRE)

EXISTING KGMU, LUCKNOW			NEW STRUCTURE AS PER MANKIKARAN				
Name of Post	Sanctioned Post (Existing)	Grade Pay	Revised Nomenclature	Grade Pay	Source of recruitment	Sanctioned Post (Mankikaran)	Qualification (SGPGI, Lucknow)
VC	1		VC	As approved	NA	1	NA
Registrar	1		Registrar	As approved	Deputation	1	NA
Dy. Registrar/Asstt. Registrar	3		Dy. Registrar (Abolishing Asstt. Registrar Post)	As approved	Direct or Deputation	1	**PCS officer on deputation with at least 10 years experience (Full Time)** **OR** The employee working in Government (Central/State)/ Public undertaking/ Autonomous bodies/ Indian Armed Forces Services (Army/Air Force/Navy) with the following qualification: 1. M.B.A. or P.G. Diploma in personnel management 2. 10 years of Administrative experience. 3. Knowledge of computer.
Not Exist	Not Exist	Not Exist	Chief Administrative Officer	7600	Promotion, failing which by Deputation	4	**100% by Promotion failing which by deputation** In case of Recruitment by Promotion- Senior Administrative Officer with 5 years of regular service in the grade. Promotion will be done as per provision provided in SGPGI regulation 2011. In case of deputation grades and Sources from which deputation to be made and period of deputation: Officers of State Government/ State Statutory/ Autonomous Bodies holding analogous posts or with at least 5 years of service in the posts in the pay scale of Rs. 3000-4500 or equivalent and having experience in administration establishment and preferably in accounts matters Officers with MBA or PG Diploma in Personnel Management or Labour Law or Degree in Law shall be given preference (Period of deputation shall be ordinarily not exceed 3 years)

Not Exist	Not Exist	Not Exist	Senior Administrative Officer	6600	Promotion, failing which by Deputation	8	**100% by Promotion failing which by deputation** In case of Recruitment by Promotion- Administrative Officer with 5 years of regular service in the grade of Rs. 2375-3500 or 8 years of regular service in the grade of Rs. 2000-3500. Promotion will be done as per provision provided in SGPGI regulation 2011. In case of Deputation grades and Sources from which deputation to be made and period of deputation: Officers under the Central/ State Government. Administrations ofttheCentral Statutory/ Autonomous Bodies holding analogous posts on regular basis or with at least 5/8 years of regular service in a post in the pay scale of Rs. 2200- 4000/2000-3500 respectively or equivalent and having a Degree and experience in administration andestablishment matters and also preferably in accounts matters. Officers having MBA or Post Graduate Diploma in Personnel Management shall be given preference. (Period of deputation shall not ordinarily exceed 3 years).
ADMINISTRATIVE OFFICER	25	5400	Administrative Officer	5400	Promotion, failing which by Deputation	19	**100% by Promotion failing which by deputation** In case of Recruitment by Promotion- Assistant Administrative Officer with 3 years of regular service in the grade. OR Assistant Administrative Officer with 5 years of combined service in the grade of Assistant Administrative Officer & Office Superintendent. Promotion will be done as per provision provided in SGPGI regulation 2011. In case of Deputation grades and Sources from which deputation to be made and period of deputation: Officers under the Central/ State Government. Administrations of the Central Statutory/ Autonomous Bodies holding analogous posts on regular basis or with at least 3/5 years of regular service in post in the pay scale of Rs. 2000- 3500/2000-3200 or equivalent respectively and having a Degree and experience in administration and establishment matters and also preferably in Accounts matters. Officers having MBA or PG Diploma in Personnel Management shall be given preference. (Period of deputation shall not
PRADHAN SAHAYAK	58	4200 (Who are getting Pay Grade At present- 4600)	Assistant Administrative Officer	4600	Promotion	38	**100% by Promotion** Grades from which Promotion is to be made and eligibility: Jr. Administrative Officers, with 5 years of regular service in the grade. Promotion will be done as per provision provided in SGPGI regulation 2011.
SENIOR ASSISTANT	81	4200	Junior Administrative Officer	4200	Promotion	77	**100% by Promotion** Grades from which Promotion is to be made and eligibility: Senior Administrative Assistant with 5 years of regular service in the grade. Promotion will be done as per provision provided in SGPGI regulation 2011.

JUNIOR ASSISTANT	108	2400	Senior Adminsitrative Assistant	2400	As per SGPGI 75% Direct 25% LDCE	154	**(i) 75% by Direct Entry** **(ii) 25% by Limited Departmental Competitive Examination** Graduate with knowledge of noting & drafting and 1 year experience in Government/ Public Service Undertaking/ Autonomous government organization/ Including Contractual/ Outsourced workers working in Government Organization with knowledge of typing having speed of 35w.p.m. in Hindi & 40 w.p.m. in English and knowledge of computer.

The personnel working in the said cadre are redesignated relative to the mentioned posts.
Desired educational qualification and experience will be mandatory for promotion in the cadre
Any post which has been left out of inclusion in the cadre should be considered separately from the registrar level.
The objections received in the said cadre are disposed of as follows

Prof. Sandeep Bhattacharya
Chairperson

Prof. Avinash Agrawal
Member, VC

Prof. Suresh Kumar
Liaison Officer, SC/ST

Dr. Kaleem Ahmad
Liaison Officer, OBC

Smt. Priyanka Dwivedi
A.O., Finance

Mr. Vikas Singh
President, Employee Association

Mr. Anil Kumar
Gen. Secretary, Employee Association

चिकित्सा संस्थानों/विश्वविद्यालयों/मेडिकल कालेज में एम०सी०आई०/एन०एम०सी० मानकों की पूर्ति एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों के सुगम संचालन के लिए न्यूनतम आवश्यक मानव संसाधन के पदों के सृजन हेतु शासनादेश दिनांक 05.09.2022 द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार के०जी०एम०यू०, लखनऊ में विभिन्न विभागों हेतु गैर शैक्षणिक संवर्गों के पदों के सृजन के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियां/सुझाव का निस्तारण निम्नवत है :-

क्र.स.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग	कर्मचारी की आपत्ति	समिति द्वारा आपत्ति का निस्तारण	अभ्युक्ति
1.	श्रीमती ज्योत्स्ना श्रीवास्तव	वरिष्ठ सहायक	जनरल सर्जरी	1. उक्त संदर्भित प्रस्ताव के बिन्दु संख्या- 56 से 63 पर इंगित एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर में मानकीकरण में पदवार कुल उपलब्ध पदों यथा स्वीकृत पदों, भरे पदों तथा रिक्त पदों का कोई विवरण दर्ज नहीं किया गया हैं। जबकि शासनादेश संख्या- 1724/71-2-2014- के०जी०एम०यू०-/2014 दिनांक 24 सितम्बर 2014 द्वारा विहित की गयी व्यवस्थाओं के अनुपालन में विश्वविद्यालय के लिपिकीय संवर्ग के पदों का पुनर्गठन निम्नवत् किया गया था- प्रशासनिक अधिकारी- 25 पद, प्रधान सहायक- 58 पद, वरिष्ठ सहायक- 81 पद तथा कनिष्ठ सहायक- 108 पद । तत्पश्चात् शासनादेश संख्या-143/2022/170/71-2099-817-2019 दिनांक 30 नवम्बर, 2022 द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के गैर शक्षणिक पदों का मानकीकरण 5/29 करते समय भी शासनादेश के संलग्नक तालिका-5 के क्रमांक 24 से 32 तक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में कमांक 31 पर पूर्व सृजित वरिष्ठ सहायक के 81 पदों को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में तथा कमांक 32 पर कनिष्ठ सहायक के पूर्व सृजित 108 पदों को सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टैण्ट के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी हैं। 2.1 शासनादेश संख्या- 3288 / 71-2-16-आर०एम०-18/2014 दिनांक 23 अगस्त 2016 के द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कार्मिकों को एस० जी०पी०जी०आई०, लखनऊ के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के समान भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं तकनीकी अर्हता / अनुभव भर्ती की विधि एवं कार्य उत्तरादायित्व शासनादेश निर्गत होने की तिथि से अर्थात् दिनांक 23.08.2016 से समान रखते हुए एस०जी०पी०जी०आई०. लखनऊ के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें अनुमन्य की गयी, जिसके अनुपालन में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 08.11.2016 में लिये गये निर्णय एवं मा० कुलपति जी के अनुमोदनोंपरांत दिनांक 23.08.2016 से एस०जी०पी०जी०आई० एवं के०जी०एम०यू० में विद्यमान समान पदों को वेतनमान स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 16.14 में शिक्षणेत्तर	मानकीकरण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 30.11.2022 में एडमिनिस्ट्रेटिव संवर्ग में पदों की संख्या निर्धारण शासन स्तर पर सुनिश्चित किया गया है। अतः पदों की संख्या वर्तमान में प्रभावी शासनादेश के अन्तर्गत ही सुनिश्चित की गयी है। 2. शासनादेश दिनांक 23 अगस्त, 2016 के क्रम में के0जी0एम0यू0, लखनऊ के लिपिकीय संवर्ग में विद्यमान समान पदों को एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ की भाँति सुनिश्चित किया जा चुका है।	

				कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति/पदोन्नति हेतु निम्नवत् संशोधन किया जा चुका है- The Services of non-teaching employees of the University shall be governed by respective service rules prepared by the University and approved by the Government of Uttar Pradesh. However, till such rules are finalized, the service conditions qualification, experience, pay scales, allowances and other facilities admissible to the non-teaching employees of the University shall be same as admissible to the non-teaching employees of the Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow. जो केजीएमयू पर दिनांक 14 नवम्बर, 2018 से ही प्रभावी है। 3. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड किये गये प्रस्ताव में कतिपय संवर्गों यथा इंगित किया गया है तथा कमांक 63 पर कनिष्ठ सहायक का पुनरीक्षण के पूर्व का ग्रेड पे 2000 इंगित किया गया है। वेबसाईट पर अपलोड विश्वविद्यालय के मानकीकरण प्रस्ताव के कमांक 58 पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 06 भरे पदों को नवगठित संरचना में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर समायोजित दर्शाया जा रहा है। जबकि वर्तमान में कार्यरत् 08 प्रशासनिक अधिकारियों में से 03 कमशः श्री अरविन्द कुमार मौर्या, श्री आदर्श कुमार एवं श्री अख्तर अब्बास (शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट) तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिक है जिनका आज की तिथि तक विनियमितिकरण नहीं हुआ है। जबकि श्री पुष्पेन्द्र प्रताप सिंह (शैक्षिक अर्हता- इण्टरमीडिएट) एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद हेतु वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करते है। 4- इसी प्रकार कमांक 59 पर प्रधान सहायक के पद पर वर्तमान समय में कार्यरत् कुल 37 कार्मिकों को असिस्टैण्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर समायोजित दर्शाया गया है। जबकि वर्तमान में कार्यरत् 37 प्रधान सहायकों में से 08 प्रधान सहायक कमशः श्री विनित कुमार सक्सेना, श्री ब्रह्म प्रकाश पाण्डेय, श्रीमती पूनम चौहान, श्री गौरव श्रीवास्तव, श्री आदर्श श्रीवास्तव, श्री संदीप मिश्रा, सुश्री / श्रीमती मीना कुमारी, श्री विनय कुमार वर्मा एस०जी०पी०जी०आई० के अनुसार असिस्टैण्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद हेतु वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करते है इन सभी कार्मिकों की उच्चतम शैक्षिक अर्हता केवल इण्टरमीडिएट है। इसी प्रकार 05 प्रधान सहायक कमशः श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा, श्री मनोज कुमार सिंह, श्री अनिल कुमार अवस्थी, श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय, श्री सुशील तिवारी अलग-अलग चयन समितियों के माध्यम से अलग-अलग समय पर सम्पन्न हुई है।	3. एडमिनिस्ट्रेटिव संवर्ग में कार्यरत कार्मिक वरिष्ठता क्रम में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्राप्त कर चुके है तथा वर्तमान में शासनादेश दिनांक 23 अगस्त, 2016 के क्रम में ग्रेड वेतन रू0 5400/- प्राप्त कर रहे है। अतः भविष्य में पदोन्नति हेतु शैक्षिक अर्हता को अनिवार्य किया गया है। 4. मानकीकरण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 30.11.2022 में प्रधान सहायक के 58 स्वीकृत पदों के सापेक्ष मात्र 38 पदों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। संवर्ग में उल्लिखित पद पर कार्यरत कार्मिक को नवीन संवर्गीय संरचना में उपलब्ध पदानुसार पदनामित किया जा रहा है। संवर्ग में वांछित शैक्षिक योग्यता एवं अर्हता के आधार पर ही पदोन्नति किया जाना प्रस्तावित है। बिन्दु संख्या-5.1 से 5.5 तक की आपत्ति वरिष्ठता	

				5.1 उ०प्र० सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 द्वारा विहित किये गये उपबंधों के अनुसार तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की ज्येष्ठता की अवधारणा उनके विनियमितीकरण की तिथि से किये जाने का प्राविधान है तथा तदर्थ नियुक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 1979 यथासंशोधित द्वारा विहित की गयी व्यवस्थानुसार तदर्थ नियुक्तियों का पूर्वगामी तिथि से विनियमितीकरण किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। 5.2 वी० श्रीनिवास रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 1994 (5) एस0एल0आर0 715 में निर्णित निर्णयाज विधियों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि तदर्थ नियुक्ति युक्तियुक्त तरीके से नियमानुसार की गयी नियुक्ति नहीं होती है, अतः ऐसी नियुक्ति के आधार पर की गयी अस्थाई सेवा को ज्येष्ठता निर्धारण के लिए आगणित नहीं किया जा सकता। 5.3 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित विभिन्न निर्णयाज विधियों को अंगीकार करते हुए उ०प्र० सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के भाग-3 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि ज्येष्ठता का निर्धारण मौलिक नियुक्ति की तिथि से ही किया जायेगा । तदर्थ सेवक की ज्येष्ठता नियमानुसार नियमित चयन के उपरांत नियुक्ति की तिथि से आगणित की जायेगी। इसके अतिरिक्त ज्येष्ठता नियमावली में यह भी स्पष्ट सिद्धांत दिया गया है कि किसी सेवक के नियमित रूप से नियुक्त होने के उपरांत उसकी नियुक्ति की तिथि से ही ज्येष्ठता का निर्धारण किया जायेगा, उसके स्थायीकरण की तिथि से नहीं इसके अतिरिक्त ज्येष्ठता नियमावली के भाग-3 में माननीय उच्चतम न्यायालय के अंगी 5.4 उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के बाहर के क्षेत्र के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली- 1979 यथासंशोधित के नियम-7 में इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में, इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों या यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा। 5.5 लिपिक सम्वर्ग के कतिपय कार्मिकों द्वारा निरंतर लिपिक संवर्ग से तदर्थ नियुक्ति वाले कार्मिकों को पृथक करते हुए पुनः संशोधित वरिष्ठता निर्धारण किये जाने की मांग की जाती रही है। इस संदर्भ में माननीय कुलपति जी के अनुमोदन से कुलसचिव केजीएमयू के कार्यालय ज्ञाप संख्या 165 / ई-2021 दिनांक 20.10.	को लेकर है जबकि उक्त प्रस्ताव नवीन संवर्गीय संरचना का है।	

				2021 द्वारा माननीय उप कुलपति की अध्यक्षता में एक 05 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी संस्तुतियां भी दिनांक 26.10.2021 को प्रस्तुत की जा चुकी है। परन्तु वर्तमान समय तक इस पर अग्रेतर कार्यवाही विलम्बित है। 5.6 भारत संघ बनाम एम0 रवि वर्मा, ए०आई०आर० 1972 एस0सी0 670, डी०पी० शर्मा बनाम भारत संघ ए0आई0आर0 1989, एस०सी० 1071, पी० मोहन रेड्डी बनाम ई० ए०ए० चार्ल्स ए०आई०आर० 2001 एस०सी० 1210 एवं निरंजन प्रसाद सिन्हा बनाम भारत संघ (2001) 5 एस०सी०सी० 564 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि किसी कर्मचारी को अपनी ज्येष्ठता अपनी नियुक्ति की तिथि को प्रवृत्त नियमों के अनुसार, अवधारित कराने का अधिकार प्राप्त होता है। 6. लम्बे समय से लिपिक सम्वर्ग के कार्मिकों की पद रिक्त होते हुए भी पदोन्नति नहीं। की गयी है। इस संदर्भ में विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 17 नवम्बर 2022 द्वारा केजीएमयू के गैर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पदोन्नति केजीएमयू अधिनियम एवं परिनियमावली में दी गयी व्यवस्था एवं सुसंगत शासनादेशों के आलोक में करने के स्पष्ट निर्देश दिये गये थे। परन्तु विश्वविद्यालय प्रशासन स्तर से पद रिक्त होते हुए भी लिपिक सम्वर्ग की वरिष्ठता सूची से तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं रिकॉर्ड कीपर / मेडिकल रिकॉर्ड कीपर को पृथक करते हुए लिपिक सम्वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हुई और न ही मानकीकरण करते समय वरिष्ठता के अनुसार नोशनल पदोन्नति प्रदान करते हुए समायोजन प्रदान किया गया है। जिसके कारण वेबसाईट पर अपलोड किये गये प्रस्ताव में उन्हें वर्तमान मानकीकरण में समस्त अपेक्षित अर्हताए पूर्ण करने के उपरांत भी निम्न स्तर पर समायोजन प्रदान किया गया है, इससे कर्मचारियों की प्रगति में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। उपरोक्त प्रकाशित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में विश्वविद्यालय की वेबसाईट: पर अपलोड किये गये माननकीकरण प्रस्ताव पर निम्नलिखित आपत्तियां एवं सुझाव है- 1. माननकीकरण के प्रस्ताव में कुल सृजित /उपलब्ध पदों भरे पदों एवं रिक्त पदों का स्पष्ट उल्लेख निम्न तालिका के अनुसार किया जाये	(6) 1,2,3,4,5,6 संवर्ग में पदोन्नति हेतु अलग से चयन समिति गठित करते हुए अर्ह कार्मिकों की योग्यता एवं अनुभव के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी स्तर से निर्णय लिया जाने की संस्तुति की जाती है। रिकार्ड कीपर/मेडिकल रिकार्ड कीपर के पदों को पृथक किये जाने का प्रकरण प्रशासनिक स्तर का है और सम्बन्धित प्रकरण मा0 न्यायालय में लम्बित है। अतः अन्तिम निर्णय मा0 न्यायालय के आदेशों के अधीन होंगा।	

S.No	Name of Cadre	Name of post/scale	Total Post			Newly Sanctioned (D)	Grand Total (A+D)
			Sanctioned(A)	Filled(B)	Vacant(C)		

2. केजीएमयू के शिक्षणेत्तर कार्मिकों पर एस०जी०पी०जी०आई० के कार्मिकों पर लागू सेवा नियमावली दिनांक 14 नवम्बर, 2018 से ही प्रभावी है। अतः मानकीकरण में केवल उन्हीं कार्मिकों को सम्मिलित करते हुए उनका मानकीरण एवं पदोन्नति की जाये जो एस०जी०पी०जी०आई० में प्रभावी व्यवस्था के अनुसार वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं कार्य अनुभव रखते हो, शेष कार्मिकों की पृथक सूची बनाते हुए उन्हें अपेक्षित अर्हता प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाये तथा अपेक्षित अर्हता पूर्ण करने के उपरांत ही उनका समायोजन एवं पदोन्नति प्रदान की जाये। 3. लिपिक सम्वर्ग की वरिष्ठता सूची से तदर्थ नियुक्ति वाले सभी कार्मिकों को पृथक करते हुए संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

3. शासनादेश संख्या- 685/71-3-2003-सी0एम0यू0-31/2002 दिनांक 03 मई, 2003 द्वारा केजीएमयू (पूर्ववर्ती सी०एस०एम०एम०यू०) द्वारा विभिन्न कार्यालयों हेतु रिकॉर्ड कीपर के 12 पर तथा कनिष्ठ लिपिक के 16 पदों का सृजन अलग-अलग किया गया है तथा इन्हें अलग-अलग विज्ञापित करते हुए अलग-अलग चयन समितियों के माध्यम से चयन प्रक्रिया भी पूर्ण की गयी। इसी प्रकार शासनादेश संख्या, 3168/71-3-04- के.जी.डी.-2/2004 दिनांक 29 दिसम्बर, 2004 द्वारा किंग जार्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु मेडिकल रिकॉर्ड कीपर के 02 तथा कनिष्ठ लिपिक के 23 पदों का सृजन किया गया था। जिन्हें अलग-अलग विज्ञापित करते हुए अलग अलग चयन समितियों के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण की गयी। इन्हें बिना लिपिक सम्वर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की आपत्ति प्राप्त किये तथा बिना शासन की अनुमति प्राप्त किये लिपिक सम्वर्ग में नियम विरूद्ध संविलिन कर दिया गया। जिससे लिपिक सम्बर्ग के कार्मिकों की वरिष्ठता प्रभावित हो रही है तथा उन्हें अपूर्णीय क्षति हो रहीं है। अतः लिपिक सम्वर्ग की वरिष्ठता सूची से रिकॉर्ड कीपर एवं मेडिकल रिकार्ड कीपर को पृथक

				कर उन्हें मानकीकरण में दिये गये मेडिकल रिकॉर्ड कीपर में सम्मिलित किया जाये तथा लिपिक सम्वर्ग की संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार माननकीकरण की कार्यवाही की जाये।	
				4. लिपिक सम्वर्ग के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी के 17. प्रधान सहायक के 21 तथा वरिष्ठ सहायक के 05 पद पहले से ही रिक्त है, पद रिक्त होते हुए भी कार्मिकों को अनायास ही पदोन्नति से वंचित रखा गया है जबकि इस संदर्भ में उ०प्र० द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 17 नवम्बर 2022 द्वारा कार्मिकों की पदोन्नति विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियमावली एवं सुसंगत शासनादेशों द्वारा विहित की गयी व्यवस्थाओं के अनुसार किये जाने के स्पष्ट निर्देश पूर्व में ही दिये गये है। अतः इन पदों पर उपरोक्त प्रस्तर 2 से 4 पर वर्णित विवरणानुसार संशोधित वरिष्ठता सूची जारी करते हुए तदनुसार वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं कार्य अनुभव रखने वालें कार्मिकों को नोशनल पदोन्नति देते हुए मानकीकरण किया जाये।	यह निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी स्तर पर गठित पदोन्नति समिति द्वारा नियमों के अन्तर्गत लिया जाये।
				5. प्रश्नगत प्रस्ताव में कही पर भी यह उल्लिखित नहीं किया गया है कि जिन कार्मिकों को विगत एक दशक से भी अधिक समय से कोई पदोन्नति नहीं प्रदान की गयी उनके द्वारा प्राप्त किये गये अनुभवों का आगणन भविष्य में प्रदान की जाने वाली पदोन्नतियों में अनुभव लाभ के रूप में प्रदान किया जायेगा अथवा नहीं।	यह निर्णय पदोन्नति समिति द्वारा नियमों के अन्तर्गत लिया जाये।
				6. जिस प्रकार 2800 के ग्रेड पे पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर संवर्ग के ऐसे कार्मिकों को जिन्होंने अपने पद पर 05 वर्ष की उत्कृष्ठ सेवा करी हो तथा जो बी०ई०/बी०टेक/एम०सी०ए०/एम०एस०सी० (कम्प्यूटर साइन्स) शैक्षिक अर्हता धारित करते हो को 5400 की ग्रेड पे में कम्प्यूटर प्रोग्रामर पद पर पदोन्नति का अवसर प्रदान किया जा रहा है तथा तद् हेतु कम्प्यूटर प्रोग्रामर के स्वीकृत पदों के सापेक्ष 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था की गयी है। उसी प्रकार लिपिक सम्वर्ग में भी वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत ऐसे कार्मिकों को जिन्होंने वरिष्ठ सहायक के पद पर न्यूनतम 06 वर्ष अथवा उससे अधिक समय का उत्तम सेवा लाभ अर्जित किया हो तथा जो पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षिक अर्हता	यह निर्णय पदोन्नति समिति द्वारा नियमों के अन्तर्गत लिया जाये।

				धारित करते हो को Length of Service के आधार पर उच्च पद पर सीधी पदोन्नति का अवसर प्रदान किया जाये।		
2.	श्री सत्येन्द्र सिंह	प्रधान सहायक	बी अनुभाग कुलसचिव कार्यालय	तदैव	तदैव	
3.	श्री सियाराम	प्रधान सहायक	परीक्षा नियंत्रक कार्यालय	तदैव	तदैव	
4.	श्री नितिन शर्मा	वरिष्ठ सहायक	परीक्षा नियंत्रक कार्यालय	तदैव	तदैव	
5.	श्री सूर्य प्रकाश साहू	कनिष्ठ सहायक	रिकॉर्ड अनुभाग, कुलसचिव कार्यालय	तदैव	तदैव	
6.	श्री मोहित कुमार यादव	कनिष्ठ सहायक	परीक्षा नियंत्रक कार्यालय	तदैव	तदैव	
7.	श्री कृष्ण मुरारी	कनिष्ठ सहायक	परीक्षा नियंत्रक कार्यालय	तदैव	तदैव	
8.	श्री विवेकानंद	कनिष्ठ सहायक	बी अनुभाग, कुलसचिव कार्यालय	तदैव	तदैव	
9.	श्री संजय कमल	वरिष्ठ सहायक	निर्माण विभाग, सिविल सेक्शन	उक्त के अतिरिक्त जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में पदोन्नति विभागीय पदोन्नति परीक्षा के माध्यम से की जाती है, उसी प्रकार के०जी०एम०यू० में पदोन्नति का आधार वरिष्ठता न होकर विभागीय पदोन्नति परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए ताकि सभी कर्मचारियों को पदोन्नति के समान अवसर मिल सके अथवा जिस प्रकार Faculty की समयमान (Time Bound) पदोन्नति होती है, उसी प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर के कर्मचारी, जो अनुभव एवं योग्यता रखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर को भी फैकल्टी की माँति समयमान (Time Bound) पदोन्नति प्रदान की जाये।	संवर्ग में पदोन्नति हेतु अलग से समिति गठित करते हुए वांछित योग्यता एवं अनुभव के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी स्तर से निर्णय लिया जाय।	
10.	श्री विश्वमणिकान्त	कनिष्ठ	बी अनुभाग,	तदैव	तदैव	

	बैसवार	सहायक	कुलसचिव कार्यालय			
11.	श्री नीरज कुमार सिंह	वरिष्ठ सहायक	क्रिटिकल केयर मेडिसिन	तदैव	तदैव	
12.	श्री रमेश सिंह	वरिष्ठ सहायक	ट्रांसफ्यूज़न मेडिसिन विभाग	तदैव	तदैव	
13.	श्री राजन यादव	वरिष्ठ सहायक	पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन	तदैव	तदैव	
14.	श्रीमती रुचिका श्रीवास्तव	वरिष्ठ सहायक	प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग	तदैव	तदैव	
15.	श्री हुकम सिंह नेगी	प्रधान सहायक	बी अनुभाग, कुलसचिव कार्यालय	तदैव	तदैव	
16.	श्रीमती रेनू वर्मा	कनिष्ठ सहायक	शल्य चिकित्सा विभाग(जनरल)	तदैव	तदैव	
17.	श्रीमती संगीता रानी	वरिष्ठ सहायक	कलाम सेंटर	तदैव	तदैव	
18.	श्रीमती पूनम सैनी	कनिष्ठ सहायक	न्यू यू जी गर्ल्स छात्रावास	तदैव	तदैव	
19.	श्रीमती संगीता	कनिष्ठ सहायक	प्रोस्थोडॉटिक्स	तदैव	तदैव	
20.	श्री कमलेश कुमार	वरिष्ठ सहायक	संक्रामक रोग	तदैव	तदैव	
21.	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सोनकर	प्रधान सहायक	प्रसूति एवं स्त्री रोग	तदैव	तदैव	
22.	श्री अनिल कुमार यादव	कनिष्ठ सहायक	सी एफ ए आर	तदैव	तदैव	

<table>
<tr>
<td>23.</td>
<td>श्री राजेश चन्द</td>
<td>वरिष्ठ सहायक</td>
<td>वित्त कार्यालय</td>
<td>1.मानकीकरण के प्रस्ताव में कुल सृजित/उपलब्ध पदों, भरे पदों एवं रिक्त पदों का स्पष्ट उल्लेख निम्न तालिका के अनुसार किया जाय
<table>
<tr><th rowspan="2">S.No</th><th rowspan="2">Name of Cadre</th><th rowspan="2">Name of post/scale</th><th colspan="3">Total Post</th><th rowspan="2">Newly Sanctioned (D)</th><th rowspan="2">Grand Total (A+D)</th></tr>
<tr><th>Sanctioned(A)</th><th>Filled(B)</th><th>Vacant(C)</th></tr>
</table>
2. के.जी.एम.यू. के शिक्षणेत्तर कार्मिकों पर एस0जी0पी0जी0आईए के कार्मिकों पर लागू सेवा नियमावली प्रभावी है। अतः मानकीकरण में केवल उन्हीं कार्मिकों को सम्मिलित करते हुए उनका मानकीकरण एवं पदोन्नति की जाये जो एस0जी0पी0जी0आई0 में प्रभावी व्यवस्था के अनुसार बांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं कार्य अनुभव रखते हो। शेष कार्मिकों की पृथक सूची बनाते हुए उनके द्वारा अपेक्षित अर्हता प्राप्त करने करने के उपरांत ही उनका समायोजन एवं पदोन्नति प्रदान की जाये।
3. लिपिक संवर्ग की वरिष्ठता सूची से तदर्थ नियुक्ति वाले सभी कार्मिकों को चिन्हित कर उन्हें वरिष्ठता सूची से पृथक करते हुए संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाये।
4. शासनादेश संख्या 685/71-3-2003-सी0एम0यू0-31/2002 दिनांक 03 मई, 2003 द्वारा केजीएमयू (पूर्ववर्ती सी०एस०एम०एम०यू०) द्वारा विभिन्न कार्यालयों हेतु रिकार्ड कीपर के 12 पर तथा कनिष्ठ लिपिक के 16 पदों का सृजन अलग-अलग किया गया तथा इन पदों को अलग-अलग विज्ञापित करते हुए अलग-अलग चयन समितियों के माध्यम से चयन प्रक्रिया भी पूर्ण की गयी इसी प्रकार शासनादेश संख्या 3168/71-3-04-के.जी.डी.-2/2004, दिनांक 29 दिसम्बर, 2004 द्वारा किंग जार्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु मेडिकल रिकॉर्ड कीपर के 02 तथा कनिष्ठ लिपिक के 23 सृजित पदों को अलग-अलग विज्ञापित करते हुए अलग अलग चमन समितियों के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण की गयी किन्तु इन्हें लिपिक संवर्ग में सम्मिलिन कर दिया गया जिससे लिपिक संवर्ग के कार्मिकों की वरिष्ठता प्रभावित हो रही है तथा उन्हें अपूरणीय क्षति भी हो रही है। अतः लिपिक संवर्ग की वरिष्ठता सूची से रिकॉर्ड कीपर एवं मेडिकल रिकॉर्ड कीपर में सम्मिलित किया जाये तथा लिपिक संवर्ग की संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार मानकीकरण की कार्यवाही की जाये.
5. लिपिक सम्वर्ग के अन्तर्गत विभिन्न पदोन्नति से भरे जाने वाले पद पूर्व से ही रिक्त है किन्तु पद रिक्त होते हुए भी अनायास ही आई कार्मिकों को विगत लम्बे</td>
<td>संवर्ग में पदोन्नति हेतु अलग से पदोन्नति समिति गठित करते हुए अर्ह कार्मिकों की योग्यता एवं अनुभव के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी स्तर से निर्णय लिया जाये।</td>
<td></td>
</tr>
</table>

				समय से पदोन्नति से वंचित होना पड़ रहा है। अतः विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए संशोधित वरिष्ठता सूची जारी कराते हुए वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता व कार्य का अनुभव रखने वाले कार्मिकों को नोशनल पदोन्नति देते हुए मानकीकरण किया जाय जिसके लिए प्रार्थी आपका अत्यंत आभारी रहेगा।		
24.	श्री पवन कुमार	कनिष्ठ सहायक	वित्त कार्यालय	तदैव	तदैव	
25.	श्री धर्मेन्द्र कुमार	कनिष्ठ सहायक	योजना अनुभाग, कुलसचिव कार्यालय	तदैव	तदैव	
26.	श्री प्रेम शंकर	कनिष्ठ सहायक	वित्त कार्यालय	तदैव	तदैव	
27.	श्री कौशल राज श्रीवास्तव	वरिष्ठ सहायक	न्यू गेस्ट होऊस	1- मानकीकरण के प्रस्ताव में एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर में कुल सृजित/उपलब्ध पदों भरे पदों एवं रिक्त पदों का स्पष्ट उल्लेख निम्न तालिका के अनुसार किया जाये [S.No | Name of Cadre | Name of post/scale | Total Post: Sanctioned(A) | Filled(B) | Vacant(C) | Newly Sanctioned (D) | Grand Total (A+D)] 2- केजीएमयू के शिक्षणेत्तर कार्मिकों पर एस०जी०पी०जी०आई० के कार्मिकों पर लागू सेवा नियमावली दिनाक 14 नवम्बर 2018 ही प्रभावी है। अतः मानकीकरण में केवल उन्हीं कार्मिकों को सम्मिलित करते हुए उनका मानकीकरण एवं पदोन्नति की जाये जो एस०जी० पी०जी०आई० में प्रभावी व्यवस्था से आच्छादित वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं कार्य अनुभव रखते हो, शेष कार्मिकों की पृथक सूची बनाते हुए उन्हें अपेक्षित अर्हता प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाये तथा अपेक्षित अर्हता पूर्ण करने के उपरान्त ही उनका समायोजन एवं पदोन्नति प्रदान की जाये। 3- लिपिक संवर्ग की वरिष्ठता सूची से तदर्थ नियुक्ति वाले सभी कार्मिकों को पृथक करते हुए संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की	मानकीकरण सम्बन्धी शासनादेश में उल्लिखित पदों के संवर्गों में उल्लिखित पदों के अनुरूप नवीन संवर्गीय संरचना प्रस्तावित है। शासनादेश प्रभावी होने के दिनांक से ही संवर्ग में पदोन्नति हेतु शैक्षिक अर्हता अनिवार्य किये जाने की संस्तुति की गयी है। 3,4, व 5. वरिष्ठता सूची के संशोधन के सम्बन्ध में नियुक्ति	

				जाये। 4- लिपिक संवर्ग की वरिष्ठता सूची से तदर्थ नियुक्ति वाले सभी कार्मिकों को पृथक करते हुए संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाये। 5- शासनादेश संख्या-685/71-3-2003-सी०एम०यू०-31/2002 दिनांक 03 मई, 2003 द्वारा केजीएमयू (पूर्ववर्ती सी०एस०एम०एम०यू०) द्वारा विभिन्न कार्यालयों हेतु रिकॉर्ड कीपर के 12 पर तथा कनिष्ठ लिपिक के 16 पदों का सृजन अलग-अलग किया गया है तथा इन्हें अलग-अलग विज्ञापित करते हुए अलग-अलग चयन समितियों के माध्यम से चयन प्रक्रिया भी पूर्ण की गयी। इसी प्रकार शासनादेश संख्या 3168/71-3-04- के. जी.डी.-2/2004 दिनांक 29 दिसम्बर, 2004 द्वारा किंग जार्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु मेडिकल रिकॉर्ड कीपर के 02 तथा कनिष्ठ लिपिक के 23 पदों का सृजन किया गया था जिन्हें अलग-अलग विज्ञापित करते हुए अलग अलग चयन समितियों के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण की गयी। इन्हें बिना लिपिक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की आपत्ति प्राप्त किये तथा बिना शासन की अनुमति प्राप्त किये लिपिक संवर्ग में नियम विरुद्ध संविलयन कर दिया गया जिससे लिपिक संवर्ग के कार्मिकों की वरिष्ठता प्रभावित हो रही है तथा उन्हें अपूर्णीय क्षति हो रही है। अतः लिपिक संवर्ग की वरिष्ठता सूची से रिकॉर्ड कीपर एवं मेडिकल रिकार्ड कीपर को पृथक कर उन्हें मानकीकरण में दिये गये मेडिकल रिकॉर्ड कीपर संवर्ग में सम्मिलित किया जाये तथा लिपिक संवर्ग की संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार मानकीकरण की कार्यवाही की जाये।	प्राधिकारी स्तर से निर्णय लिये जाने की संस्तुति की जाती है।	
				6- लिपिक संवर्ग के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी के 17. प्रधान सहायक के 21 तथा वरिष्ठ सहायक यो 05 पद पहले से ही रिक्त है. पद रिक्त होते हुए भी कार्मिकों को अनायास ही पदोन्नति से पति रखा गया है जबकि इस संदर्भ में उ०प्र० शासन ने अपने शासनादेश दिनांक 17 नवम्बर 2022 द्वारा कार्मिकों की पदोन्नति विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियमावली एवं सुसंगत शासनादेशों द्वारा विहित की गयी व्यवस्थाओं के अनुसार किये जाने के स्पष्ट निर्देश पूर्व में ही दिये गये है। अतः इन पदों पर लिपिक संवर्ग की संशोधित वरिष्ठता सूची पुन जारी	पदोन्नति के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी स्तर से निर्णय लिया जाय।	

				करते हुए तदनुसार वांछित न्यूनतम शैक्षिक अहंता एवं कार्य अनुभव रखने वाले कार्मिकों को नोशनल पदोन्नति देते हुए मानकीकरण किया जाये। 7- प्रश्नगत प्रस्ताव में कही पर भी यह उल्लिखित नहीं किया गया है कि जिन कार्मिकों को विगत एक दशक से भी अधिक समय से कोई पदोन्नति नहीं प्रदान की गयी उनके द्वारा प्राप्त किये गये अनुभवों का आगणन भविष्य में प्रदान की जाने वाली पदोन्नतियों में अनुभव लाभ के रूप में प्रदान किया जायेगा अथवा नहीं?	सम्बन्धित प्रस्ताव मानकीकरण शासनदेश दिनांक 30.11.2022 के अन्तर्गत जारी किया गया है।	
28.	श्री हरि शंकर	वरिष्ठ सहायक	यू जी/पी जी अनुभाग, कुलसचिव कार्यालय	तदैव	तदैव	
29.	श्री विजय शंकर	वरिष्ठ सहायक	विधुत विभाग	तदैव	तदैव	
30.	श्री सुजीत कुमार यादव	वरिष्ठ सहयक	पीडियाट्रिक ओर्थोपेडिक	तदैव	तदैव	
31.	श्रीमती निहारिका चंद्रा	वरिष्ठ सहायक	कम्युनिटी डेंटिस्ट्री	तदैव	तदैव	
32.	श्री रामू साहू	कनिष्ठ सहायक	चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय	1. उक्त संदर्भित प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 53 से 63 पर इंगित एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर में मानकीकरण में पदवार कुल उपलब्ध पदों यथा स्वीकृत पदों भरे पदों तथा रिक्त पदों का कोई विवरण दर्ज नहीं किया गया हैं। जबकि शासनादेश संख्या- 1724/71-2-2014-के०जी०एम०यू०-/2014 दिनांक 24 सितम्बर 2014 द्वारा विहित की गयी व्यवस्थाओं के अनुपालन में विश्वविद्यालय के लिपिकीय संवर्ग के पदों का पुनर्गठन निम्नवत् किया गया था प्रशासनिक अधिकारी- 25 पद, प्रधान सहायक 58 पद, वरिष्ठ सहायक 81 पद तथा कनिष्ठ सहायक- 108 पद तत्पश्चात् शासनादेश संख्या- 143/2022/170/71-2099-817-2019 दिनांक 30 नवम्बर, 2022 द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के गैर शक्षणिक पदों का मानकीकरण करते समय भी शासनादेश के संलग्नक तालिका 5 के कमांक 24 से 32 तक का मानकीकरण करते समय भी शासनादेश के संलग्नक तालिका-5 के क्रमांक 24 से 32 तक एडमिनिस्ट्रेटिव संवर्ग के पदों का मानकीकरण करते हुए	मानकीकरण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 30.11.2022 में एडमिनिस्ट्रेटिव संवर्ग में पदों की संख्या निर्धारण शासन स्तर पर सुनिश्चित किया गया है। अतः पदों की संख्या वर्तमान में प्रभावी शासनादेश के अन्तर्गत ही सुनिश्चित की गयी है।	

				कमांक 29 पर केजीएमयू में पूर्व सृजित / उपलब्ध 25 प्रशासनिक अधिकारी के पदों को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में कमांक 30 पर पूर्व सृजित प्रधान सहायक के 58 पदों को असिस्टैण्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में, कमांक 31 पर पूर्व सृजित वरिष्ठ सहायक के 81 पदों को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में तथा कमांक 32 पर कनिष्ठ सहायक के पूर्व सृजित 108 पदों को सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टैण्ट के रूप में प्रदान की गयी हैं। 2.1 शासनादेश संख्या- 3288/71-2-16-आर0एम0-18/2014 दिनांक 23 अगस्त 2016 द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कार्मिकों एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के समान भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं तकनीकी अर्हता / अनुभव भर्ती की विधि एवं कार्य उत्तरादायित्व शासनादेश निर्गत होने की तिथि से अर्थात् दिनांक 23.08.2016 से समान रखते हुए एस०जी०पी०जी०आई०. लखनऊ के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें अनुमन्य की गयी, जिसके अनुपालन में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 08.11.2016 में लिये गये निर्णय एवं मा० कुलपति जी के अनुमोदनोंपरांत दिनांक 23.08.2016 से एस०जी०पी०जी०आई० एवं के०जी०एम०यू० में विद्यमान समान पदों को वेतनमान स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 16.14 में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति / पदोन्नति हेतु निम्नवत् संशोधन किया जा चुका है- The Services of non-teaching employees of the University shall be governed by respective service rules prepared by the University and approved by the Government of Uttar Pradesh. However, till such rules are finalized, the service conditions- qualification, experience, pay scales, allowances and other facilities admissible to the non-teaching employees of the University shall be same as admissible to the non-teaching employees of the Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow. जो केजीएमयू पर दिनांक 14 नवम्बर, 2018 से ही प्रभावी है।	2. शासनादेश दिनांक 23 अगस्त, 2016 के क्रम में के0जी0एम0यू0, लखनऊ के लिपिकीय संवर्ग में विद्यमान समान पदों को एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ की भाँति सुनिश्चित किया जा चुका है।	
				3. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड किये गये प्रस्ताव में कतिपय संवर्गों यथाः समाशास्त्री (सोशल वर्कर) संवर्ग, नर्सिंग संवर्ग, रिसर्च संवर्ग आदि में विद्यमान पदों के वेतनमान एवं पदनाम तथा उनकी अर्हता के संदर्भ में एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ में अर्हता आदि के संदर्भ में विद्यमान व्यवस्थानुसार प्रविष्ठियां की गयी है। परन्तु एडमिनिस्ट्रेटिव संवर्ग के पदों के संदर्भ में ऐसा नहीं किया गया है तथा कतिपय पदों के वेतनमान आदि जिन्हें पूर्व	3. एडमिनिस्ट्रेटिव संवर्ग में कार्यरत कार्मिक वरिष्ठता क्रम में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्राप्त कर चुके है तथा वर्तमान में शासनादेश दिनांक 23	

				में ही शासनादेश संख्या- 3288 / 71-2-16-आर0एम0-18 / 2014 दिनांक 23 अगस्त 2016 के अनुपालन में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के अनुमोदन से कुलसचिव, केजीएमयू के कार्यालय आदेश संख्या- 807/गैर शै० अधि0 एवं पेंशन अनु0/2017 दिनांक 15.09.2017 द्वारा दिनांक 23.08.2016 से एस०जी०पी०जी०आई० के अनुरूप पुरीक्षित किया जा चुका है। उदाहरण के तौर पर वरिष्ठ सहायक के पद के वेतनमान एवं ग्रेड पे को दिनांक 23.08.2016 से वेतनमान रू0 9300-34800 ग्रेड पे 4200 के रूप में तथा कनिष्ठ सहायक के वेतनमान को रू0 5200-20200 ग्रेड पे 2400 के रूप में पुनरीक्षित किया जा चुका है परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड किये गये मानकीकरण के प्रस्ताव के कमांक 61 पर वरिष्ठ सहायक का पुनरीक्षण से पूर्व का ग्रेड पे 2800 इंगित किया गया है तथा क्रमांक 63 पर कनिष्ठ सहायक का पुनरीक्षण के पूर्व का ग्रेड पे 2000 इंगित किया गया	अगस्त, 2016 के क्रम में ग्रेड वेतन रू0 5400/- प्राप्त कर रहे है। अतः भविष्य में पदोन्नति हेतु शैक्षिक अर्हता को अनिवार्य किया गया है।	
				वेबसाईट पर अपलोड विश्वविद्यालय के मानकीकरण प्रस्ताव के कमांक 58 पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 08 भरे पदों को नवगठित संरचना में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर समायोजित दर्शाया जा रहा है। जबकि वर्तमान में कार्यरत् 08 प्रशासनिक अधिकारियों में से 03 कमशः श्री अरविन्द कुमार मौर्या, श्री आदर्श कुमार एवं श्री अख्तर अब्बास (शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट) तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिक है जिनका आज की तिथि तक विनियमितिकरण नहीं हुआ है। जबकि श्री पुष्पेन्द्र प्रताप सिंह (शैक्षिक अर्हता- इण्टरमीडिएट) एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद हेतु वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करते है। 4.2 इसी प्रकार कमांक 59 पर प्रधान सहायक के पद पर वर्तमान समय में कार्यरत् कुल 37 कार्मिकों को असिस्टैण्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर समायोजित दर्शाया गया है। जबकि वर्तमान में कार्यरत 37 प्रधान सहायकों में से 08 प्रधान सहायक कमशः श्री विनित कुमार सक्सेना, श्री ब्रह्म प्रकाश पाण्डेय, श्रीमती पूनम चौहान, श्री गौरव श्रीवास्तव, श्री आदर्श श्रीवास्तव, श्री संदीप मिश्रा, सुश्री / श्रीमती मीना कुमारी, श्री विनय कुमार वर्मा एस०जी०पी०जी०आई० के अनुसार असिस्टैण्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद हेतु वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करते है इन सभी कार्मिकों की उच्चतम शैक्षिक अर्हता केवल इण्टरमीडिएट है। इसी प्रकार 05 प्रधान सहायक कमशः श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा, श्री मनोज कुमार सिंह, श्री अनिल कुमार अवस्थी, श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय, श्री सुशील तिवारी, तदर्थ नियुक्तिधारी है जिनका आज की तिथि तक विनियमितीकरण नहीं	4. मानकीकरण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 30.11.2022 में प्रधान सहायक के 58 स्वीकृत पदों के सापेक्ष मात्र 38 पदों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। संवर्ग में उल्लिखित पद पर कार्यरत कार्मिक को नवीन संवर्गीय संरचना में उपलब्ध पदानुसार पदनामित किया जा रहा है। संवर्ग में वांछित शैक्षिक योग्यता एवं अर्हता के आधार पर ही पदोन्नति किया जाना प्रस्तावित है।	

				हुआ है। 4.3 प्रश्नगत मानकीकरण प्रस्ताव के बिन्दु 61 पर वर्तमान समय में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत् कुल 76 कार्मिकों को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर समायोजित दर्शाया गया है। जबकि वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत् कुल 76 कार्मिकों में से 06 कार्मिक क्रमशः श्रीमती नजमा रहमान खान, श्रीमती फरहत जहाँ श्री राम आसरे, श्री राजेन्द्र मिश्रा, श्री नितिन प्रथी एवं श्री बलराम जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर समायोजन हेतु वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करते है। इसके अतिरिक्त 12 कार्मिक कमशः श्री संजय त्रिपाठी, श्री प्रभाकर सिंह, श्रीमती मोनिका यादव, श्री अनुराग श्रीवास्तव, श्री शैलेन्द्र सिंह रावत, श्री चन्द्र भूषण सिंह, श्री नवीन वर्मा, श्री प्रवीन गोस्वामी (इण्टरमीडिएट) श्री राजकुमार, श्री सुनील कुमार कनौजिया, श्रीमती प्रकृति शुक्ला एवं श्री रामकुमार प्रसाद रिकॉर्ड कीपर/मेडिकल रिकॉर्ड कीपर है। जिन्हें नियमों के विपरित लिपिक सम्वर्ग में संविलीन किया गया है जबकि मानकीकरण हेतु निर्गत संख्या- 143/2022/170/71-2-20299-817-2019 दिनांक 30 नवम्बर, 2022 द्वारा किये गये मानकीकरण में मेडिकल रिकॉर्ड कीपर का संवर्ग पृथक से दिया गया है तथा रिकॉर्ड कीपर एवं लिपिक संवर्ग के पद विभिन्न शासनादेशों द्वारा पृथक-पृथक किये गये है तथा इनके विरूद्ध नियुक्ति प्रक्रिया भी अलग-अलग 'चयन समितियों के माध्यम से अलग-अलग समय पर सम्पन्न हुई है। 5.1 उ०प्र० सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 द्वारा विहित किये गये उपबंधों के तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की ज्येष्ठता की अवधारणा उनके विनियमितीकरण की तिथि से किये जाने का प्राविधान है तथा तदर्थ नियुक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 1979 यथासंशोधित द्वारा विहित की गयी व्यवस्थानुसार तदर्थ नियुक्तियाँ पूर्वगामी तिथि से विनियमितीकरण किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। t० श्रीनिवास रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 1994 (5) एस0एल0आर0 715 में निर्णित निर्णयाज विधियों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि तदर्थ नियुक्ति युक्तियुक्त तरीके से नियमानुसार की गयी नियुक्ति नहीं होती है, अतः ऐसी नियुक्ति के आधार पर की गयी अस्थाई सेवा को ज्येष्ठता निर्धारण के लिए आगणित नहीं किया जा सकता। 5.3 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित विभिन्न निर्णयाज विधियों को अंगीकार करते हुए उ०प्र० सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के भाग-3 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि ज्येष्ठता का निर्धारण मौलिक नियुक्ति की तिथि से ही किया जायेगा। तदर्थ सेवक की ज्येष्ठता नियमानुसार	बिन्दु संख्या-5.1 से 5.5 तक की आपत्ति वरिष्ठता को लेकर है जबकि उक्त प्रस्ताव नवीन संवर्गीय संरचना का है। अतः इस सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी स्तर पर निर्णय लिया जाये।	

				नियमित चयन के उपरांत नियुक्ति की तिथि से आगणित की जायेगी। इसके अतिरिक्त ज्येष्ठता नियमावली में यह भी स्पष्ट सिद्धांत दिया गया है कि किसी सेवक के नियमित रूप से नियुक्त होने के उपरांत उसकी नियुक्ति की तिथि से ही ज्येष्ठता का निर्धारण किया जायेगा, उसके स्थायीकरण की तिथि से नहीं। इसके अतिरिक्त ज्येष्ठता नियमावली के भाग-3 में माननीय उच्चतम न्यायालय के अंगीकार किये गये सिद्धांतों में यह सिद्धांत भी अंगीकार किया गया है कि नियमों में नियत प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना की गयी तदर्थ नियुक्ति के उपरांत तदर्थ सेवक का नियमित चयन हो जाने पर तदर्थ सेवक की सेवा अवधि को ज्येष्ठता निर्धारण के लिए आगणित नहीं किया जायेगा। 5.4 उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के बाहर के क्षेत्र के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली- 1979 यथासंशोधित के नियम-7 में इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में, इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों या यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार न्युक्ति व्यक्तियों के नीचे रखा जाये। 5.5 लिपिक सम्वर्ग के कतिपय कार्मिकों द्वारा निरंतर लिपिक संवर्ग से तदर्थ नियुक्ति वाले कार्मिकों को पृथक करते हुए पुनः संशोधित वरिष्ठता निर्धारण किये जाने की मांग की जाती रही है। इस संदर्भ में माननीय कुलपति जी के अनुमोदन से कुलसचिव, केजीएमयू के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 165 / ई-2021 दिनांक 20.10.2021 द्वारा माननीय उप कुलपति की अध्यक्षता में एक 05 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी संस्तुतिया भी दिनांक 26.10.2021 को प्रस्तुत की जा चुकी है। परन्तु वर्तमान समय तक इस पर अंग्रेतर कार्यवाही विलम्बित है। 5.6 भारत संघ बनाम एम० रवि वर्मा, ए0आई0आर0 1972 एस0सी0 670, डी०पी० शर्मा बनाम भारत संघ ए0आई0आर0 1989, एस0सी0 1071, पी0 मोहन रेड्डी बनाम ई० ए०ए० चार्ल्स, ए0आई0आर0 2001 एस०सी० 1210 एवं निरंजन प्रसाद सिन्हा बनाम भारत संघ, (2001) 5 एस०सी०सी0 564 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि किसी कर्मचारी को अपनी ज्येष्ठता अपनी नियुक्ति की तिथि को प्रवृत्त नियमों के अनुसार, अवधारित कराने का अधिकार प्राप्त होता है। 6. लम्बे समय से लिपिक सम्वर्ग के कार्मिकों की पद रिक्त होते हुए भी पदोन्नति	(6) 1,2,3,4,5,6 संवर्ग में पदोन्नति हेतु	

				नहीं की गयी है। इस संदर्भ में विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग - 2, उ०प्र० शासन के शासनादेश दिनांक 17 नवम्बर 2022 द्वारा केजीएमयू के गैर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पदोन्नति केजीएमयू अधिनियम एवं परिनियमावली में दी गयी व्यवस्था एवं सुसंगत शासनादेशों के आलोक में करने के स्पष्ट निर्देश दिये गये थे। परन्तु विश्वविद्यालय प्रशासन स्तर से पद रिक्त होते हुए भी लिपिक सम्वर्ग की वरिष्ठता सूची से तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं रिकॉर्ड कीपर / मेडिकल रिकॉर्ड कीपर को पृथक करते हुए लिपिक सम्वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हुई और न ही मानकीकरण करते समय वरिष्ठता के अनुसार नोशनल पदोन्नति प्रदान करते हुए समायोजन प्रदान किया गया है। जिसके कारण वेबसाईट पर अपलोड किये गये प्रस्ताव में उन्हें वर्तमान मानकीकरण में समस्त अपेक्षित अर्हताए पूर्ण करने के उपरांत भी निम्न स्तर पर समायोजन प्रदान किया गया है, इससे कर्मचारियों की प्रगति में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। उपरोक्त प्रकाशित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड किये गये माननकीकरण प्रस्ताव पर निम्नलिखित आपत्तियां एवं सुझाव है- 1. माननकीकरण के प्रस्ताव में कुल सृजित / उपलब्ध पदों भरे पदों एवं रिक्त पदों का स्पष्ट उल्लेख निम्न तालिका के अनुसार किया जाये।– 2. केजीएमयू के शिक्षणेत्तर कार्मिकों पर एस०जी०पी०जी०आई० के कार्मिकों पर लागू सेवा नियमावली दिनांक 14 नवम्बर 2018 से ही प्रभावी है। अतः मानकीकरण में केवल उन्हीं कार्मिकों को सम्मिलित करते हुए उनका मानकीरण एवं पदोन्नति की जाये जो एस०जी०पी०जी०आई० में प्रभावी व्यवस्था के अनुसार वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं कार्य अनुभव रखते हो, शेष कार्मिकों की पृथक सूची बनाते हुए उन्हें अपेक्षित अर्हता प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाये तथा अपेक्षित अर्हता पूर्ण करने के उपरांत ही उनका समायोजन एवं पदोन्नति प्रदान की जाये। 3. लिपिक सम्वर्ग की वरिष्ठता सूची से तदर्थ नियुक्ति वाले सभी कार्मिकों को पृथक करते हुए संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाये। 4. शासनादेश संख्या- 685 / 71-3-2003- सी0एम0यू0-31/2002 दिनांक 03 सई, 20 द्वारा केजीएमयू (पूर्ववर्ती सी०एस०एम०एम०यू०) द्वारा विभिन्न कार्यालयों हेतु रिक कीपर के 12 पर तथा कनिष्ठ लिपिक के 16 पदों का सृजन अलग-अलग किया गया है तथा इन्हें अलग-अलग विज्ञापित करते हुए अलग-अलग चयन समितियों के माध्यम से चयन प्रक्रिया भी पूर्ण की गयी। इसी प्रकार शासनादेश	अलग से चयन समिति गठित करते हुए अर्ह कार्मिकों की योग्यता एवं अनुभव के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी स्तर से निर्णय लिया जाने की संस्तुति की जाती है। रिकार्ड कीपर/मेडिकल रिकार्ड कीपर के पदों को पृथक किये जाने का प्रकरण प्रशासनिक स्तर का है और सम्बन्धित प्रकरण मा0 न्यायालय में लम्बित है। अतः अन्तिम निर्णय मा0 न्यायालय के आदेशों के अधीन होंगा।	

				संख्या. 3180/71-3-04-के.जी. डी. -2/2004 दिनांक 29 दिसम्बर, 2004 द्वारा किंग जार्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु मेडिकल रिकॉर्ड कीपर के 02 तथा कनिष्ठ लिपिक के 23 पदों का सृजन किया गया था। जिन्हें अलग-अलग विज्ञापित करते हुए अलग अलग चयन समितियों के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण की गयी। इन्हें बिना लिपिक सम्वर्ग कार्यरत कर्मचारियों की आपत्ति प्राप्त किये तथा बिना शासन की अनुमति प्राप्त किये लिपिक सम्वर्ग में नियम विरूद्ध संविलिन कर दिया गया। जिससे लिपिक सम्वर्ग के कार्मिकों की वरिष्ठता प्रभावित हो रहीं है तथा उन्हें अपूर्णीय क्षति हो रही है। अतः लिपिक सम्बर्ग की वरिष्ठता सूची से रिकॉर्ड कीपर एवं मेडिकल कीपर को पृथक करउन्हें मानकीकरण में दिये गये मेडिकल रिकॉर्ड कीपर में सम्मिलित किया जाये तथा लिपिक सम्वर्ग की संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार माननकीकरण की कार्यवाही की जाये।		
				5. लिपिक सम्बर्ग के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी के 17, प्रधान सहायक के 21 तथा वरिष्ठ सहायक के 05 पद पहले से ही रिक्त है, पद रिक्त होते हुए भी कार्मिकों को अनायास ही पदोन्नति से वंचित रखा गया है जबकि इस संदर्भ में उ०प्र० द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 17 नवम्बर 2022 द्वारा कार्मिकों की पदोन्नति विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियमावली एवं सुसंगत शासनादेशों द्वारा विहित की गयी व्यवस्थाओं के अनुसार किये जाने के स्पष्ट निर्देश पूर्व में ही दिये गये है। अतः इन पदों पर उपरोक्त प्रस्तर 2 से 4 पर वर्णित विवरणानुसार संशोधित वरिष्ठता सूची जारी करते हुए तद्नुसार वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं कार्य अनुभव रखने वाले कार्मिकों को नोशनल पदोन्नति देते हुए मानकीकरण किया जाये।	यह कार्य पदोन्नति समिति द्वारा नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।	
				6. प्रश्नगत प्रस्ताव में कही पर भी यह उल्लिखित नहीं किया गया है कि जिन कार्मिकों को विगत एक दशक से भी अधिक समय से कोई पदोन्नति नहीं प्रदान की गयी उनके द्वारा प्राप्त किये गये अनुभवों का आगणन भविष्य में प्रदान की जाने वाली पदोन्नतियों में अनुभव लाभ के रूप में प्रदान किया जायेगा अथवा नहीं।	यह कार्य पदोन्नति समिति द्वारा नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।	
				7. जिस प्रकार 2400 के ग्रेड पे पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर संवर्ग के ऐसे कार्मिकों को जिन्होंने अपने पद पर 05 वर्ष की उत्कृष्ठ सेवा करी हो तथा जो बी०ई०/बी०टेक/एम०सी०/एम०एस०सी० (कम्प्यूटर साइन्स) शैक्षिक अर्हता धारित करते हो को 5400 की ग्रेड पे में कम्प्यूटर प्रोग्रामर पद पर पदोन्नति का अवसर प्रदान किया जा रहा है तथा तद् हेतु कम्प्यूटर प्रोग्रामर के स्वीकृत पदों के सापेक्ष 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था की गयी है। उसी प्रकार लिपिक संवर्ग में		

				भी कार्यरत ऐसे कार्मिकों को जिन्होंने अपने पद पर न्यूनतम ०६ वर्ष अथवा उससे अधिक समय का उत्तम सेवा लाभ अर्जित किया हो तथा जो ग्रेजुएट शैक्षिक अर्हता धारित करते हो को Length of service के आधार पर उच्च पद पर सीधी पदोन्नति का अवसर प्रदान किया जाये।		
33.	श्री कमल कुमार	प्रधान सहायक	अधीक्षक कार्यालय	1. उक्त संदर्भित प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 53 से 63 पर इंगित एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर में मानकीकरण में पदवार कुल उपलब्ध पदों यथा स्वीकृत पदों भरे पदों तथा रिक्त पदों का कोई विवरण दर्ज नहीं किया गया 81 जबकि शासनादेश संख्या- 1724 / 71-2-2014- के०जी०एम०यू० / 2014 दिनांक 24 सितम्बर 2014 द्वारा विहित की गयी व्यवस्थाओं के अनुपालन में विश्वविद्यालय के लिपिकीय संवर्ग के पदों का पुनर्गठन निम्नवत् किया गया था प्रशासनिक अधिकारी- 25 पद, प्रधान सहायक-58 पद, वरिष्ठ सहायक- 81 पद तथा कनिष्ठ सहायक 108 पद। तत्पश्चात् शासनादेश संख्या- 143/2022/170/712099817-2019 दिनांक 30 नवम्बर, 2022 द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के गैर शैक्षणिक पदों का मानकीकरण करते समय भी शासनादेश के संलग्नक तालिका-5 के कमांक 24 से 32 तक एडमिनिस्ट्रेटिव संवर्ग के पदों का मानकीकरण करते हुए कमांक 29 पर केजीएमयू में पूर्व सृजित / उपलब्ध 25 प्रशासनिक अधिकारी के पदों को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में क्रमांक 30 पर पूर्व सृजित प्रधान सहायक के 98 पदों को असिस्टैण्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में कमांक 31 पर पूर्व सृजित वरिष्ठ सहायक के 81 पदों को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में तथा क्रमांक 32 पर कनिष्ठ सहायक के पूर्व सृजित 108 पदों को सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेण्ट के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी हैं। 2. शासनादेश संख्या- 3288/71-2-16-आर०एम0-18/2014 दिनांक 23 अगस्त 2016 के द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कार्मिकों को एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के समान भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं तकनीकी अर्हता / अनुभव भर्ती की विधि एवं कार्य उत्तरादायित्व शासनादेश निर्गत होने की तिथि से अर्थात् दिनांक 23.08.2016 से समान रखते हुए एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें अनुमन्य की गयी, जिसके अनुपालन में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 08.11.2016 में लिये गये निर्णय एवं मा० कुलपति जी के अनुमोदनोंपरांत दिनांक 23.08.2016 से एस०जी०पी०जी०आई० एवं के०जी०एम०यू० में विद्यमान समान पदों को वेतनमान: स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 16.14 में शिक्षणेत्तर	तदैव	

				कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति / पदोन्नति हेतु निम्नवत् संशोधन किया जा चुका -The Services of non-teaching employees of the University shall be governed by respective service rules prepared by the University and approved by the Government .of Uttar Pradesh. However, till such rules are finalized, the service conditions- qualification, experience, pay scales, allowances and other facilities admissible to the non-teaching employees of the University shall be same as admissible to the non-teaching employees of the Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow. जो केजीएमयू पर दिनांक 14 नवम्बर, 2018 से ही प्रभावी है। 3. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड किये गये प्रस्ताव में कतिपय संवर्गो जैसे- जनसम्पर्क अधिकारी संवर्ग, समाशास्त्री (सोशल वर्कर) संवर्ग नर्सिंग संवर्ग, रिसर्च संवर्ग तथा एडमिनिस्ट्रेटिव संवर्ग में वरिष्ठ सहायक के पद के वेतनमान एवं ग्रेड पे को दिनांक 23.08.2016 से वेतनमान रू० 9300-34800 ग्रेड पे 4200 के रूप में तथा कनिष्ठ सहायक के वेतनमान को रू0 5200-20200 ग्रेड पे 2400 के रूप में विद्यमान पदों के वेतनमान एवं पदनाम तथा उनकी अर्हता के संदर्भ में एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ में अर्हता आदि के संदर्भ में विद्यमान व्यवस्थानुसार प्रविष्ठियां की गयी है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव संवर्ग के प्रधान सहायक के पदों के संदर्भ में ऐसा नहीं किया गया है, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव संवर्ग के प्रधान सहायक अपने से कनिष्ठ कर्मचारी वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत कर्मचारी से कम वेतन पा रहे हैं। 4. वेबसाईट पर अपलोड विश्वविद्यालय के मानकीकरण प्रस्ताव के कमांक 58 पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 08 भरे पदों को नवगठित संरचना में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर समायोजित दर्शाया जा रहा है। जबकि वर्तमान में कार्यरत् 08 प्रशासनिक अधिकारियों में से 03 कमश श्री अरविन्द कुमार मौर्या, श्री आदर्श कुमार एवं श्री अख्तर अब्बास (शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट) तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिक है जिनका आज की तिथि तक विनियमितिकरण नहीं हुआ है। जबकि श्री पुष्पेन्द्र प्रताप सिंह (शैक्षिक अर्हता- इण्टरमीडिएट) एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद हेतु वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करते है। 5. इसी प्रकार कमांक 59 पर प्रधान सहायक के पद पर वर्तमान समय में कार्यरत् कुल 37 कार्मिकों को असिस्टैण्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर समायोजित दर्शाया गया है। जबकि वर्तमान में कार्यरत् 37 प्रधान सहायकों में से 08 प्रधान सहायक क्रमशः श्री विनित कुमार सक्सेना, श्री ब्रहम प्रकाश पाण्डेय, श्रीमती पूनम	

			चौहान, श्री गौरव श्रीवास्तव, श्री आदर्श श्रीवास्तव, श्री संदीप मिश्रा, सुश्री / श्रीमती मीना कुमारी, श्री विनय कुमार वर्मा एस०जी०पी०जी०आई० के अनुसार असिस्टेण्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद हेतु वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करते है इन सभी कार्मिकों की उच्चतम शैक्षिक अर्हता केवल इण्टरमीडिएट है। इसी प्रकार 05 प्रधान सहायक क्रमशः श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा, श्री मनोज कुमार सिंह, श्री अनिल कुमार अवस्थी, श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय श्री सुशील तिवारी तदर्थ नियुक्तिधारी है जिनका आज की तिथि तक विनियमितीकरण नहीं हुआ है। 6. प्रश्नगत मानकीकरण प्रस्ताव के बिन्दु 61 पर वर्तमान समय में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत् कुल 76 कार्मिकों को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर समायोजित दर्शाया गया है। जबकि वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत् कुल 76 कार्मिकों में से 06 कार्मिक क्रमश: श्रीमती नजमा रहमान खान, श्रीमती फरहत जहाँ, श्री राम आसरे, श्री राजेन्द्र मिश्रा, श्री नितिन पूथी एवं श्री बलराम जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर समायोजन हेतु वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करते है। इसके अतिरिक्त 12 कार्मिक क्रमशः श्री संजय त्रिपाठी, श्री प्रभाकर सिंह, श्रीमती मोनिका यादव श्री अनुराग श्रीवास्तव, श्री शैलेन्द्र सिंह रावत श्री चन्द्र भूषण सिंह, श्री नवीन वर्मा श्री प्रवीन गोस्वामी (इण्टरमीडिएट) श्री राजकुमार, श्री सुनील कुमार कनौजिया, श्रीमती प्रकृति शुक्ला एवं श्री रामकुमार प्रसाद रिकॉर्ड कीपर / मेडिकल रिकॉर्ड कीपर है। जिन्हें नियमों के विपरीत लिपिक संवर्ग में संविलीन किया गया है जबकि मानकीकरण हेतु निर्गत शासनादेश संख्या- 143/2022/170/71-2-20299-817-2019 दिनांक 30 नवम्बर, 2022 द्वारा किये गये मानकीकरण में मेडिकल रिकॉर्ड कीपर का संवर्ग पृथक से दिया गया है तथा रिकॉर्ड कीपर एवं लिपिक संवर्ग के पद विभिन्न शासनादेशों द्वारा पृथक-पृथक सृजित किये गये है तथा इनके विरूद्ध नियुक्ति प्रक्रिया भी अलग-अलग चयन समितियों के माध्यम से अलग-अलग समय पर सम्पन्न हुई है। 7. उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 द्वारा विहित किये गये उपबंधों के अनुसार तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की ज्येष्ठता की अवधारणा उनके विनियमितीकरण की तिथि से किये जाने का प्राविधान है तथा तदर्थ नियुक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 1979 यथासंशोधित द्वारा विहित की गयी व्यवस्थानुसार तदर्थ नियुक्तियों का पूर्वगामी तिथि से विनियमितीकरण किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।		

8. वी० श्रीनिवास रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1994 (5) एस0एल0आर0 715 में निर्णित निर्णयाज विधियों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि तदर्थ नियुक्ति युक्तियुक्त तरीके से नियमानुसार की गयी नियुक्ति नहीं होती है. अतः ऐसी नियुक्ति के आधार पर की गयी अस्थाई सेवा को ज्येष्ठता निर्धारण के लिए आगणित नहीं किया जा सकता।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित विभिन्न निर्णयाज विधियों को अंगीकार करते हुए उ०प्र० सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के भाग-3 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि ज्येष्ठता का निर्धारण मौलिक नियुक्ति की तिथि से ही किया जायेगा। तदर्थ सेवक की ज्येष्ठता नियमानुसार नियमित चयन के उपरांत नियुक्ति की तिथि से आगणित की जायेगी। इसके अतिरिक्त ज्येष्ठता नियमावली में यह भी स्पष्ट सिद्धांत दिया गया है कि किसी सेवक के नियमित रूप से नियुक्त होने के उपरांत उसकी नियुक्ति की तिथि से ही ज्येष्ठता का निर्धारण किया जायेगा, उसके स्थायीकरण की तिथि से नहीं। इसके अतिरिक्त ज्येष्ठता नियमावली के भाग-3 में माननीय उच्चतम न्यायालय के अंगीकार किये गये सिद्धांतों में यह सिद्धांत भी अंगीकार किया गया है कि नियमों में नियत प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना की गयी तदर्थ नियुक्ति के उपरांत तदर्थ सेवक का नियमित चयन हो जाने पर तदर्थ सेवक की सेवा अवधि को ज्येष्ठता निर्धारण के लिए आगणित नहीं किया जायेगा।

10. उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के बाहर के क्षेत्र के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली 1979 यथासंशोधित के नियम-7 में इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों या यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।

11. लिपिक सम्वर्ग के कतिपय कार्मिकों द्वारा निरंतर लिपिक संवर्ग से तदर्थ नियुक्ति वाले कार्मिकों को पृथक करते हुए पुनः संशोधित वरिष्ठता निर्धारण किये जाने की मांग की जाती रही है। इस संदर्भ में माननीय कुलपति जी के अनुमोदन से कुलसचिव, केजीएमयू के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 165/ई-2021 दिनांक 20.10.2021 द्वारा माननीय उप कुलपति की अध्यक्षता में एक 05. सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी संस्तुतियां भी दिनांक 26.102021 को प्रस्तुत की जा चुकी है। परन्तु वर्तमान समय तक इस पर अग्रेतर

				कार्यवाही विलम्बित है। 12. भारत संघ बनाम एम० रवि वर्मा, ए०आई०आर० 1972 एस०सी० 670. डी०पी० शर्मा बनाम भारत संघ ए०आई०आर० 1989, एस०सी० 1071, पी० मोहन रेड्डी बनाम ई० ए०ए० चार्ल्स ए०आई०आर० 2001 एस ०सी० 1210 एवं निरंजन प्रसाद सिन्हा बनाम भारत संघ, (2001) 5 एस०सी०सी० 564 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि किसी कर्मचारी को अपनी ज्येष्ठता अपनी नियुक्ति की तिथि को प्रवृत्त नियमों के अनुसार, अवधारित कराने का अधिकार प्राप्त होता है। 13. लम्बे समय से लिपिक सम्वर्ग के कार्मिकों की पद रिक्त होते हुए भी पदोन्नति नहीं की गयी है। इस संदर्भ में विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 17 नवम्बर 2022 द्वारा केजीएमयू के गैर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पदोन्नति केजीएमयू अधिनियम एवं परिनियमावली में दी गयी व्यवस्था एवं सुसंगत शासनादेशों के आलोक में करने के स्पष्ट निर्देश दिये गये थे। परन्तु विश्वविद्यालय प्रशासन स्तर से पद रिक्त होते हुए भी लिपिक सम्वर्ग की वरिष्ठता सूची से तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं रिकॉर्ड कीपर / मेडिकल रिकॉर्ड कीपर को पृथक करते हुए लिपिक सम्वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हुई और न ही मानकीकरण करते समय वरिष्ठता के अनुसार नोशनल पदोन्नति प्रदान करते हुए समायोजन प्रदान किया गया है। जिसके कारण वेबसाईट पर अपलोड किये गये प्रस्ताव में उन्हें वर्तमान मानकीकरण में समस्त अपेक्षित अर्हताए पूर्ण करने के उपरांत भी निम्न स्तर पर समायोजन प्रदान किया गया है, इससे कर्मचारियों की प्रगति में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। उपरोक्त प्रकाशित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड किये गये माननकीकरण प्रस्ताव पर निम्नलिखित आपत्तियां एवं सुझाव है 1. माननकीकरण के प्रस्ताव में कुल सृजित / उपलब्ध पदों भरे पदों एवं रिक्त पदों का स्पष्ट उल्लेख निम्न तालिका के अनुसार किया जाये 2. केजीएमयू के शिक्षणेत्तर कार्मिकों पर एस०जी०पी०जी०आई० के कार्मिकों पर लागू सेवा नियमावली दिनांक 14 नवम्बर, 2018 से ही प्रभावी है अतः मानकीकरण में केवल उन्हीं कार्मिकों को सम्मिलित करते हुए उनका मानकीरण एवं पदोन्नति की जाये जो (एस०जी०पी०जी०आई० में प्रभावी व्यवस्था के अनुसार वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं कार्य अनुभव रखते हो, शेष कार्मिकों की पृथक	

				सूची बनाते हुए उन्हें अपेक्षित अर्हता प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाये तथा अपेक्षित अर्हता पूर्ण करने के उपरांत ही उनका समायोजन एवं पदोन्नति प्रदान की जाये। 3. लिपिक सम्वर्ग की वरिष्ठता सूची से तदर्थ नियुक्ति वालें सभी कार्मिकों को पृथक करते हुए संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाये। 4. जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव संवर्ग के वरिष्ठ सहायक पद के वेतनमान एवं ग्रेड पे को दिनांक 23.08.2016 से वेतनमान रू० 9300-34800 ग्रेड पे 4200 के रूप में तथा कनिष्ठ सहायक के वेतनमान को रू0 5200-20200 ग्रेड पे 2400 के रूप में विद्यमान पदों के वेतनमान एवं पदनाम तथा उनकी अर्हता के संदर्भ में एस०जी०पी०जी०आई० लखनऊ में अर्हता आदि के संदर्भ में विद्यमान व्यवस्थानुसार लाभ दिया गया है उसी प्रकार प्रधान सहायक को भी दिनाँक 23.08. 2016 से वेतन का लाभ प्रदान करते हुए एवं शासनादेश संख्या-जी-2-289/दस-84-302-82 दिनांक 31 मार्च, 1984 के अन्तर्गत 22 (बी) के अन्तर्गत वर्ष 2008 से वेतन निर्धारण किया जाना चाहिए। लिपिक सम्वर्ग के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी के 17 प्रधान सहायक के 21 तथा वरिष्ठ सहायक के 05 पद पहले से ही रिक्त है, पद रिक्त होते हुए भी कार्मिकों को अनायास ही पदोन्नति से वंचित रखा गया है जबकि इस संदर्भ में उ0प्र0 द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 17. नवम्बर 2022 द्वारा कार्मिकों की पदोन्नति विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियमावली एवं सुसंगत शासनादेशों द्वारा विहित की गयी व्यवस्थाओं के अनुसार किये जाने के स्पष्ट निर्देश पूर्व में ही दिये गये है। अतः इन पदों पर उपरोक्त प्रस्तर 2 से 4 पर वर्णित विवरणानुसार संशोधित वरिष्ठता सूची जारी करते हुए तद्नुसार वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं कार्य अनुभव रखने वाले कार्मिकों को नोशनल पदोन्नति देते हुए मानकीकरण किया जाये। 6. जिस प्रकार 2800 के ग्रेड पे पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर संवर्ग के ऐसे कार्मिकों को जिन्होंने अपने पद पर 05 वर्ष की उत्कृष्ठ सेवा करी तथा जो बी०ई०/ बी०टेक / एम०सी०ए० / एम०एस०सी० (कम्प्यूटर साइन्स) शैक्षिक अर्हता धारित करते हो को 5400 की ग्रेड पे में कम्प्यूटर प्रोग्रामर पद पर पदोन्नति का अवसर प्रदान किया जा रहा है। तथा तद् हेतु कम्प्यूटर प्रोग्रामर के स्वीकृत पदों के सापेक्ष 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था की गयी है। उसी प्रकार लिपिक संवर्ग में भी प्रधान सहायक के पद पर कार्यरत ऐसे कार्मिकों को जिन्होंने प्रधान सहायक के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष अथवा उससे अधिक समय का उत्तम	

				सेवा लाभ अर्जित किया हो तथा न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित करता हो को प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड पे 5400 में सीधी पदोन्नति का अवसर प्रदान किया जाये।		
34.	श्रीमती कविता मिश्रा	वरिष्ठ सहायक	रिसर्च सेल	1 मानकीकरण के प्रस्ताव में कुल सृजित/उपलब्ध पदों भरे पदों एवं रिक्त पदों का स्पष्ट उल्लेख निम्न तालिका के अनुसार किया जाए। २. लिपिक संवर्ग की वरिष्ठता सूची से तदर्थ नियुक्ति वाले सभी कार्मिकों को चिन्हित कर उन्हें वरिष्ठता सूची से पृथक करते हुए संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाएं। 3. केजीएमयू के शिक्षणेत्तर कार्मिकों पर एस०जी०पी०जी०आई० के कार्मिकों पर लागू सेवा नियमावली दिनांक 14.11. 2018 से ही प्रभावी है। अतः मानकीकरण में केवल उन्हीं कार्मिकों को सम्मिलित करते हुए उनका मानकीकरण एवं पदोन्नति की जाये जो एस०जी०पी०जी०आई० में प्रभावी व्यवस्था के अनुसार वाछित न्यूनतम शैक्षिक अहंता एवं काम अनुभव रखते हो, शेष कार्मिको पृथक सूची बनाते हुए उन्हें अपेक्षित अर्हता प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाये 4. शासनादेश संख्या-3288 / 71-2-16-आर0एम0-18/2014 दिनांक 23 अगस्त 2016 के द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कार्मिकों का एस०जी०पी०जी०आई०. लखनऊ के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के समान भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं तकनीकी अर्हता / अनुभव भर्ती की विधि एवं कार्य उत्तरादायित्व शासनादेश निर्गत होने की तिथि से अर्थात् दिनांक 23.08.2016 से समान रखते हुए एम०जी०पी०जी०आई०. लखनऊ के समान वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधायें अनुमन्य की गयी जिसके अनुपालन में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 08.11. 2016 में लिये गये निर्णय एवं मा० कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त दिनांक 23.08.2016 से एस0जी०पी०जी०आई० एव के०जी०एम०यू० में विद्यमान पदों को वेतनमान स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 16.14 में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति पदोन्नति हेतु निम्नवत् संशोधन किया जा चुका है जो केजीएमयू पर दिनांक 14:11:2018 से ही प्रभावी है। 5 विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड किये गये प्रस्ताव में कतिपय संवर्गों यथाः समाजशास्त्री सवर्ग, नर्सिंग संवर्ग, रिसर्च संवर्ग आदि में विद्यमान पदों के वेतनमान एवं पदनाम तथा उनकी अहंता के संदर्भ में एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ में अहंता आदि के संदर्भ में विद्यमान व्यवस्थानुसार प्रविष्ठियां की गयी। है परन्तु एडमिनिस्ट्रेटिव संवर्ग के पदों के	संवर्ग में पदोन्नति हेतु अलग से पदोन्नति समिति गठित करते हुए अर्ह कार्मिकों की योग्यता एवं अनुभव के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी स्तर से उनकी पदोन्नति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाय।	

				संदर्भ में ऐसा नहीं किया गया है तथा कतिपय पदों के वेतनमान आदि जिन्हें पूर्व में ही शासनादेश 3288/71-2-16-आर०एम०-18 / 2014 दिनांक 23 अगस्त 2016 के अनुपालन विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के अनुमोदन से कुलसचिव, केजीएमयू के कार्यालय आदेश संख्या-807/गैर शैक्षिक अधि० एवं पेशन अनु0-2017 दिनांक 15.08.2017 द्वारा 23.08.2016 से एस०जी०पी०जी०आई० के अनुरूप पुरीक्षित किया जा चुका है। उदाहरण के तौर पर वरिष्ठ सहायक के पद के वेतनमान एवं ग्रेड पे को दिनांक 23.08.2016 से वेतनमान रू0 9300-34800 ग्रेड पे 4200 के रूप में तथा कनिष्ठ सहायक के वेतनमान को रू० 5200-20200 ग्रेड पे 2400 के रूप में पुनरीक्षित किया जा चुका है परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड किये गये मानकीकरण के प्रस्ताव के कमांक 61 पर वरिष्ठ सहायक का पुनरीक्षण से पूर्व का ग्रेड 2800 इंगित किया गया है तथा कमांक 63 पर कनिष्ठ सहायक का पुनरीक्षण के पूर्व का ग्रेड पे 2000 इंगित किया गया है।		
35.	श्री रमेश कुमार	प्रधान सहायक	निर्माण विभाग	1. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या- 53 से 63 पर इंगित एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर में मानकीकरण में पदवार कुल उपलब्ध पदों यथा स्वीकृत पदों भरे पदों तथा रिक्त पदों का कोई विवरण दर्ज नहीं किया गया है। जबकि शासनादेश संख्या-1724/71-2-2014- के०जी०एम०यू० / 2014 दिनांक 24 सितम्बर 2014 द्वारा विहित की गयी व्यवस्थाओं के अनुपालन में विश्वविद्यालय के लिपिकीय संवर्ग के पदों का पुनर्गठन निम्नवत् किया गया था प्रशासनिक अधिकारी- 25 पद, प्रधान सहायक 68 पद वरिष्ठ सहायक- 81 पद तथा कनिष्ठ सहायक- 108 पद तत्पश्चात् शासनादेश संख्या-143/2022/170/71-2099-617-2019 दिनांक 30 नवम्बर 2022 द्वारा किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के गैर शैक्षणिक पदों का मानकीकरण करते समय भी शासनादेश के संलग्नक तालिका-6 के कमांक 24 से 32 तक एडमिनिस्ट्रेटिव सबर्ग के पदों का मानकीकरण करते हुए कमांकः 29 पर के. जी. एम.यू. में पूर्व सृजित / उपलब्ध 25 प्रशासनिक अधिकारी के पदों को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में कमांक 30 पर पूर्व सृजित प्रधान सहायक 58 पदों को असिस्टेण्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में कमांक 31 पर पूर्व सृजित वरिष्ठ सहायक के 81 पदों को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में तथा क्रमांक 32 पर कनिष्ठ सहायक के पूर्व सृजित 108 पदों को सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेण्ट के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है। २. शासनादेश संख्या- 3288/71-2-16-आर०एम०-18/2014 दिनांक 23 अगस्त 2016 के द्वारा किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कार्मिकों को एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के समान भर्ती हेतु	मानकीकरण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 30.11.2022 में एडमिनिस्ट्रेटिव संवर्ग में पदों की संख्या निर्धारण शासन स्तर पर सुनिश्चित किया गया है। अतः पदों की संख्या वर्तमान में प्रभावी शासनादेश के अन्तर्गत ही सुनिश्चित की गयी है। 2. शासनादेश दिनांक 23 अगस्त, 2016 के क्रम में के0जी0एम0यू0, लखनऊ	

				न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं तकनीकी अर्हता / अनुभव भर्ती की विधि एवं कार्य उत्तरादायित्व शासनादेश निर्गत होने की तिथि से अर्थात् दिनांक 23.08.2016 से समान रखते हुए एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें अनुमन्य की गयी, जिसके अनुपालन में विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक दिनांक 08.11.2016 में लिये गये निर्णय एवं मा०. कुलपति जी के अनुमोदनोपरांत दिनांक 23.08.2016 से एस०जी०पी०जी०आई० एवं के०जी०एम०यू० में विद्यमान समान पदों को वेतनमान स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 16:14 में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति / पदोन्नति हेतु निम्नवत् संशोधन किया जा चुका है- The Services of non-teaching employees of the University shall be governed by respective service rules prepared by the University and approved by the Government of Uttar Pradesh. However, till such rules are finalized, the service conditions qualification, experience, pay scales, allowances and other facilities admissible to the non-teaching employees of the University shall be same as admissible to the non-teaching employees of the Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow जो केजीएमयू पर दिनांक 14 नवम्बर 2010 से ही प्रभावी है।	के लिपिकीय संवर्ग में विद्यमान समान पदों को एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ की भाँति सुनिश्चित किया जा चुका है।	
				3. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड किये गये प्रस्ताव में कतिपय संवर्गों जैसे जनसम्पर्क अधिकारी संवर्ग, समाजशास्त्री (सोशल वर्कर) संवर्ग, नर्सिंग संवर्ग, रिसर्व संवर्ग आदि में संदर्भ विद्यमान पदों के वेतनमान एवं पदनाम तथा उनकी अर्हता के संदर्भ में एस०जी०पी०जी०आई० लखनऊ में अर्हता आदि के संदर्भ विद्यमान व्यवस्थानुसार प्रविष्टियों की गयी है परन्तु एडमिनिस्ट्रेटिव संवर्ग के पदों के संदर्भ में ऐसा नहीं किया गया है तथा कतिपय पदों के वेतनमान आदि जिन्हें पूर्व ही शासनादेश संख्या-3286 / 71-2-16-आर०एम0-18/2014 दिनांक 23 अगस्त, 2016 के अनुपालन में विश्वविद्यालय कार्य परिषद के अनुमोदन से कुलसचिव, के०जी०एम०यू०. लखनऊ के कार्यालय आदेश संख्या-807/ गै००अधि० एवं पेंशन अनु० /2017 दिनांक 15.09.2017 द्वारा दिनांक 23.08.2016 से एस0जी०पी०जी०आई०. लखनऊ के अनुरूप पुनरीक्षित किया जा चुका है। उदाहरण के तौर पर वरिष्ठ सहायक के पद के वेतनमान एवं ग्रेड-पे को दिनांक 23.09.2018 से वेतनमान स० 9300-34800 ग्रेड पे 4200 के रूप में तथा कनिष्ठ सहायक के पद के वेतनमान 5200-20200 एवं ग्रेड पे 2400 के रूप में पुनरीक्षित किया जा चुका है परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड किये गये	3. एडमिनिस्ट्रेटिव संवर्ग में कार्यरत कार्मिक वरिष्ठता क्रम में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्राप्त कर चुके है तथा वर्तमान में शासनादेश दिनांक 23 अगस्त, 2016 के क्रम में ग्रेड वेतन रू0 5400/- प्राप्त कर रहे है। अतः भविष्य में पदोन्नति हेतु शैक्षिक अर्हता को अनिवार्य किया गया है।	

				मानकीकरण के प्रस्ताव के कमांक 61 पर वरिष्ठ सहायक का पुनरीक्षण से पूर्व ग्रेड पे 2800 इंगित किया गया है तथा कमांक 63 पर कनिष्ठ सहायक का पुनरीक्षण के पूर्व का ग्रेड पे 2000 इंगित किया गया है 4. वेबसाईट पर अपलोड विश्वविद्यालय के मानकीकरण प्रस्ताव के कमांक 58 पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 08 भरे पदों को नवगठित संरचना में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर समायोजित दर्शाया जा रहा है। जबकि वर्तमान में कार्यरत् 08 प्रशासनिक अधिकारियों में से 03 क्रमशः श्री अरविन्द कुमार मौर्या, श्री आदर्श कुमार एवं श्री अख्तर अब्बास (शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट) तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिक है जिनका आज की तिथि तक विनियमितिकरण नहीं हुआ है। जबकि श्री पुष्पेन्द्र प्रताप सिंह (शैक्षिक अर्हता- इण्टरमीडिएट) एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद हेतु वांछित न्यूनतम शैक्षिक अहंता धारित नहीं करते हैं। 5. प्रश्नगत मानकीकरण प्रस्ताव के बिन्दु 61 पर वर्तमान समय में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत् कुल 76 कार्मिकों को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर समायोजित दर्शाया गया है। जबकि वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत् कुल 76 कार्मिकों में से 06 कार्मिक क्रमश श्रीमती नजमा रहमान खान, श्रीमती फरहत जहाँ, श्री राम आसरे, श्री राजेन्द्र मिश्रा, श्री नितिन पृथी एवं श्री बलराम जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर समायोजन हेतु वाछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करते है। इसके अतिरिक्त 12 कार्मिक क्रमशः श्री संजय त्रिपाठी श्री प्रभाकर सिंह, श्रीमती मोनिका यादव, श्री अनुराग श्रीवास्तव, श्री शैलेन्द्र सिंह रावत, श्री चन्द्र भूषण सिंह, श्री नवीन वर्मा, श्री प्रवीन गोस्वामी (इण्टरमीडिएट). श्री राजकुमार, श्री सुनील कुमार कनौजिया, श्रीमती प्रकृति शुक्ला एवं श्री रामकुमार प्रसाद रिकॉर्ड कीपर / मेडिकल रिकॉर्ड कीपर है। जिन्हें नियमों के विपरीत लिपिक संवर्ग में सविलीन किया गया जबकि मानकीकरण हेतु निर्गत शासनादेश संख्या- 143/2022/170/71-2-20299-817-2019 दिनांक 30 नवम्बर 2022 द्वारा किये गये मानकीकरण: में मेडिकल रिकॉर्ड कीपर का संवर्ग पृथक से दिया गया है तथा रिकॉर्ड कीपर एवं लिपिक संवर्ग के पद विभिन्न शासनादेशों द्वारा पृथक-पृथक सृजित किये गये हैं रामा इनके विरूद्ध नियुक्ति प्रक्रिया भी अलग-अलग चयन समितियों के माध्यम से अलग-अलग समय पर सम्पन्न हुई है। 6. उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 द्वारा चिह्नित किये गये उपबंधों के अनुसार सदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की ज्येष्ठता की अवधारणा उनके विनियमितीकरण की तिथि से किये जाने का प्राविधान है तथा तदर्थ	4. मानकीकरण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 30. 11.2022 में प्रधान सहायक के 58 स्वीकृत पदों के सापेक्ष मात्र 38 पदों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। संवर्ग में उल्लिखित पद पर कार्यरत कार्मिक को नवीन संवर्गीय संरचना में उपलब्ध पदानुसार पदनामित किया जा रहा है। संवर्ग में वांछित शैक्षिक योग्यता एवं अर्हता के आधार पर ही पदोन्नति किया जाना प्रस्तावित है। बिन्दु संख्या-5.1 से 5.5 तक की आपत्ति वरिष्ठता को लेकर है जबकि उक्त प्रस्ताव नवीन संवर्गीय संरचना का है।	

				नियुक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 1979 यथासंशोधित द्वारा विहित की गयी व्यवस्थानुसार सदर्थ नियुक्तियों का पूर्वगामी तिथि से विनियमितीकरण किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। 7. बी० श्रीनिवास रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1994 (5) एस०एल०आर० 715 में निर्मित निर्णयाज विधियों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि तदर्थ नियुक्ति युक्तियुक्त तरीके से नियमानुसार की गयी नियुक्ति नहीं होती है, अतः ऐसी नियुक्ति के आधार पर की गयी अस्थाई सेवा को ज्येष्ठता निर्धारण के लिए आगणित नहीं किया जा सकता। 8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित विभिन्न निर्णयाज विधियों को अंगीकार करते हुए उ०प्र० सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के भाग-3 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि ज्येष्ठता का निर्धारण मौलिक नियुक्ति की तिथि से ही किया जायेगा। तदर्थ सेवक की ज्येष्ठता नियमानुसार नियमित चयन के उपरांत नियुक्ति की तिथि से आगणित की जायेगी। इसके अतिरिक्त ज्येष्ठता नियमावली में यह भी स्पष्ट सिद्धांत दिया गया है कि किसी सेवक के नियमित रूप से नियुक्त होने के उपरांत उसकी नियुक्ति की तिथि से ही ज्येष्ठता का निर्धारण किया जायेगा. उसके स्थायीकरण की तिथि से नहीं। इसके अतिरिक्त ज्येष्ठता नियमावली के भाग-3 में माननीय उच्चतम न्यायालय के अंगीकार किये गये सिद्धांतों में यह सिद्धांत भी अंगीकार किया गया है कि नियमों में नियत प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना की गयी तदर्थ नियुक्ति के उपरांत तदर्थ सेवक का नियमित चयन हो जाने पर तदर्थ सेवक की सेवा अवधि को ज्येष्ठता निर्धारण के लिए आगणित नहीं किया जायेगा। 9. उ०प्र० (लोक सेवा आयोग के बाहर के क्षेत्र के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली 1979 यथासंशोधित के नियम-7 में इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में, इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व संगत सेवा नियमों या यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा। 10. लिपिक सम्वर्ग के कतिपय कार्मिकों द्वारा निरंतर लिपिक संवर्ग से तदर्थ नियुक्ति वाले कार्मिकों को पृथक करते हुए पुन संशोधित वरिष्ठता निर्धारण किये जाने की मांग की जाती रही है। इस संदर्भ में माननीय कुलपति जी के अनुमोदन से कुलसचिव, केजीएमयू के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 165 / ई-2021 दिनांक	(6) 1,2,3,4,5,6 संवर्ग में पदोन्नति हेतु अलग से चयन समिति गठित करते हुए अर्ह कार्मिकों की योग्यता एवं अनुभव के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी स्तर से निर्णय लिया जाने की संस्तुति की जाती है। रिकार्ड कीपर/मेडिकल	

			20.10.2021 द्वारा माननीय उप कुलपति की अध्यक्षता में एक 05 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी संस्तुतिया भी दिनांक 26.10.2021 को प्रस्तुत की जा चुकी है। परन्तु वर्तमान समय तक इस पर अग्रेतर कार्यवाही विलम्बित है। 11. भारत संघ बनाम एम० रवि वर्मा, ए0आई0आर0 1972 एस०सी० 870, डी०पी० शर्मा बनाम भारत संघ, ए0आई0आर0 1989, एस०सी० 1071, पी0 मोहन रेड्डी बनाम ई० ए०ए० चार्ल्स ए0आई0आर0 2001 एस०सी० 1210 एवं निरंजन प्रसाद सिन्हा बनाम भारत संघ, (2001) 5 एस०सी०सी० 564 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवचारित किया गया है कि किसी कर्मचारी को अपनी ज्येष्ठता अपनी नियुक्ति की तिथि को प्रवृत्त नियमों के अनुसार, अवधारित कराने का अधिकार प्राप्त होता है। 12. लम्बे समय से लिपिक सम्वर्ग के कार्मिकों की पद रिक्त होते हुए भी पदोन्नति नहीं की गयी है। इस संदर्भ में विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, 3000 शासन के शासनादेश दिनांक 17 नवम्बर 2022 द्वारा केजीएमयू के गैर शिक्षणेतर कर्मचारियों की पदोन्नति केजीएमयू अधिनियम एवं परिनियमावली में दी गयी व्यवस्था एवं सुसंगत शासनादेशों के आलोक में करने के स्पष्ट निर्देश दिये गये थे। परन्तु विश्वविद्यालय प्रशासन स्तर से पद रिक्त होते हुए भी लिपिक सम्वर्ग की वरिष्ठता सूची से तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं रिकॉर्ड कीपर / मेडिकल रिकॉर्ड कीपर को पृथक करते हुए लिपिक सम्वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हुई और न ही मानकीकरण करते समय वरिष्ठता के अनुसार नोशनल पदोन्नति प्रदान करते हुए समायोजन प्रदान किया गया है। जिसके कारण वेबसाईट पर अपलोड किये गये प्रस्ताव में उन्हें वर्तमान मानकीकरण में समस्त अपेक्षित अर्हताए पूर्ण करने के उपरांत भी निम्न स्तर पर समायोजन प्रदान किया गया है, इससे कर्मचारियों की प्रगति में अवरोध उत्पन्न हो रहा है।	रिकार्ड कीपर के पदों को पृथक किये जाने का प्रकरण प्रशासनिक स्तर का है और सम्बन्धित प्रकरण मा0 न्यायालय में लम्बित है। अतः अन्तिम निर्णय मा0 न्यायालय के आदेशों के अधीन होंगा।	
			उपरोक्त प्रकाशित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड किये गये माननकीकरण प्रस्ताव पर निम्नलिखित आपत्तियां एवं सुझाव है- 1. माननकीकरण के प्रस्ताव में कुल सृजित / उपलब्ध पदों भरे पदों एवं रिक्त पदों का स्पष्ट उल्लेख निम्न तालिका के अनुसार किया जाये- 2. केजीएमयू के शिक्षणेत्तर कार्मिकों पर एस०जी०पी०जी०आई० के कार्मिकों पर लागू सेवा नियमावली दिनांक 14 नवम्बर 2018 से ही प्रभावी है। अतः	यह कार्य पदोन्नति समिति द्वारा नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।	

				मानकीकरण में केवल उन्हीं कार्मिकों को सम्मिलित करते हुए उनका मानकीरण एवं पदोन्नति की जाये जो एस०जी०पी०जी०आई० में प्रभावी व्यवस्था के अनुसार वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं कार्य अनुभव रखते हो, शेष कार्मिकों की पृथक सूची बनाते हुए उन्हें अपेक्षित अर्हता प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाये तथा अपेक्षित अर्हता पूर्ण करने के उपरांत ही उनका समायोजन एवं पदोन्नति प्रदान की जाये। 3. लिपिक संवर्ग की वरिष्ठता सूची से तदर्थ नियुक्ति वाले सभी कार्मिकों को पृथक करते हुए संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाये। 4. लिपिक सम्वर्ग के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी के 17 प्रधान सहायक के 21 तथा वरिष्ठ सहायक के 105 पद पहले से ही रिक्त है, पद रिक्त होते हुए भी कार्मिकों को अनायास ही पदोन्नति से वंचित रखा गया है जबकि इस संदर्भ में उ0प्र0 द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 17 नवम्बर 2022 द्वारा कार्मिकों की पदोन्नति विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियमावली एवं सुसंगत शासनादेशों द्वारा विहित की गयी व्यवस्थाओं के अनुसार किये जाने के स्पष्ट निर्देश पूर्व में ही दिये गये है। अतः इन पदो पर उपरोक्त प्रस्तर 2 से 4 पर वर्णित दिवरणानुसार संशोधित वरिष्ठता सूची जारी करते हुए तदनुसार वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं कार्य अनुभव रखने वाले कार्मिकों को नोशनल पदोन्नति देते हुए मानकीकरण किया जाये। 5. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड किये गये प्रस्ताव में कतिपय संवर्गों जैसे जनसम्पर्क अधिकारी स्वर्ग, समाजशास्त्री (सोशल वर्कर) संवर्ग, नर्सिंग संवर्ग, रिसर्च संवर्ग तथा एडमिनिस्ट्रेटिव संवर्ग में एस०जी०पी०जी०आई० में विद्यमान पदों के समतुल्य करते हुए वरिष्ठ सहायक के पद को वेतनमान रू0 5200-20200 ग्रेड पे 2800 से बढ़ाकर वेतनमान रू० 9300-34800 ग्रेड पे 4200 के रूप में तथा कनिष्ठ सहायक के वेतनमान को रू0 5200-20200 पेड 2000 से बढ़ाकर वेतनमान रू0 5200-20200 ग्रेड पे वेतनमान एवं पदनाम तथा उनकी अर्हता के संदर्भ में एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ में अहंता आदि - 2400 के रूप में दिनांक 23.08.2016 से के संदर्भ में विद्यमान व्यवस्थानुसार प्रविष्ठियों की गयी है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव संवर्ग के प्रधान सहायक के पदों के संदर्भ में ऐसा नहीं किया गया है, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव संवर्ग समस्त प्रधान सहायक अपने से कनिष्ठ कर्मचारियों (वरिष्ठ सहायक) से कम वेतन पा रहे है एवं समस्त प्रधान सहायक को दिनांक 23.08.2016 से एस०जी०पी०जी०आई० लखनऊ के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य अनुमन्य की गयी	

				सुविधाओं से वंचित किया गया है। प्रधान सहायक का पद जो असिस्टेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर के संवर्ग के रूप में विलय (Merge) किया गया है उस प्रधान सहायक पद को असिस्टेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर के रूप में हुए विलय (Merge) को दिनांक 23.08.2016 से माना जाये तथा इस पद के सापेक्ष दिये जाने वाले समस्त लाभ प्रदान किये जायें एवं शासनादेश संख्या-जी-2--289/दस-84-302-82 दिनांक 31 मार्च, 1984 के अन्तर्गत 22 (बी) के अन्तर्गत वर्ष 2008 से वेतन निर्धारण भी किया जाये।	यह कार्य पदोन्नति समिति द्वारा नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।	
36.	श्री मोहित सक्सेना	वरिष्ठ सहायक	मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलाजी	तदैव	तदैव	
37.	श्रीमती सुमन सिंह	वरिष्ठ सहायक	अधिष्ठाता अकादमी कार्यालय	तदैव	तदैव	
38.	श्री विनीत कुमार सक्सेना	प्रधान सहायक	निर्माण विभाग	1. पूर्व में चिकित्सा विश्वविद्यालय कम बेडेड का चिकित्सालय, किंग जार्ज मेडिकल कालेज, गाँधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय के नाम से जाना जाता था जो उ0प्र0 शासन के अधीनस्थ था। प्रार्थी की नियुक्ति चिकित्सा विश्वविद्यालय में उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व प्रचलित भर्ती के नियमानुसार लिपिकीय संवर्ग में शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं टंकण के ज्ञान के साथ कनिष्ठ लिपिक के पद पर दिनांक 21.02.1991 को हुयी थी। 2. यह कि उपरोक्त संदर्भित नवीन प्रस्ताव में मानकीकरण के अनुसार स्वीकृत पद भरे पद, रिक्त पद का विवरण एवं पद पर प्रोन्नति की वरिष्ठता सूची आदि का विवरण नही दर्शाया गया है। जिसको निम्न प्रारूप पर बनाया जाये:- S.No | Name of Cadre | Name of post/scale | Total Post: Sanctioned(A) | Filled(B) | Vacant(C) | Newly Sanctioned (D) | Grand Total (A+D) 3. मानकीकरण क०सं059 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रधान सहायक के पदों को असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव आफीसर, वरिष्ठ सहायक को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव आफीसर के रूप में दर्शाया गया। है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में प्रधान सहायक का जो पद असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव आफीसर के रूप में समायोजित किया जा चुका है। जिस पर प्रार्थी विनीत कुमार सक्सेना प्रधान सहायक (वर्तमान में समायोजित असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव	बिन्दु संख्या-01 से 06 मानकीकरण शासनादेश के अन्तर्गत मात्र नवीन संवर्गीय संरचना प्रस्तावित की जा रही है। अतः श्री विनीत कुमार सक्सेना, प्रधान सहायक के द्वारा की गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अपने स्तर से निर्णय लिये जाने की संस्तुति की जाती है।	

				आफीसर) के पद पर कार्य करते हुये लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। जबकि कनिष्ठ कर्मियों के बराबर प्रार्थी को लेवल 7 ग्रेड वेतन 4600 मिल रहा है जिससे वेतन विसंगति उत्पन्न होती है। 4. मानकीकरण क्र0सं058 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मानकीकरण करते हुये प्रशासनिक अधिकारी। के पदों को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर के रूप में दर्शाया गया है। चूँकि प्रार्थी के०जी०एम०यू० लखनऊ में वर्ष 1991 में उ0प्र0 शासन द्वारा लागू पूर्व भर्ती के नियमानुसार लिपिकीय संवर्ग में कनिष्ठ लिपिक पद पर कार्यरत था एवं प्रधान सहायक के पद पर लगभग 10 वर्ष से कार्य कर रहा है। जिस पटल द्वारा यह प्रस्ताव तैयार किया है उसमें पद की ज्येष्ठता सूची नहीं दर्शायी गयी है जिससे यह स्पष्ट नही हो था रहा है कि कौन-कौन वर सूची के अनुसार सनिक अधिकारी (वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटिव आफीसर) पद पर पदोन्नति के पात्र है। उ० का द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न शासनादेशों के अनुसार विभागीय रिक्त पदों को वरिष्ठता के आधार पर पति द्वारा भरने का प्रावधान है। अतः प्रशासनिक अधिकारी (वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटिव आफीसर) पर को वर्षों से प्रापर कार्य कर रहे कर्मियों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति करते हुये मेतन लाभ प्रदान किये जायें. अन्यथा वेतन विसंगति होगी। 5. यह कि कुछ लोगों द्वारा मांग की जा रही है कि के०जी०एम०५० के कार्मिकों पर एस० जी०पी०जी० आईए की सेवा नियमावली जो दिनांक 14 नवम्बर 2018 से प्रभावी है के अनुसार मानकीकरण एवं पदोन्नति में केवल उन्हीं कार्मिको को सम्मिलित किया जाये जो एस०जी०पी०जी०आई० में प्रभावी व्यवस्था के अनुसार शैक्षिक अर्हता रखते हो शेष कार्मिकों की पृथक सूची बनाते हुये अपेक्षित आहत पूर्ण करने के उपरान्त उनका समायोजन एवं पदोन्नति की जाये। वरिष्ठ कमियों को वरियता सूची से अलग करने तथा कनिष्ठ कर्मियों को वरिष्ठता में सम्मिलित करने के लिये शासन भी संस्कृति नहीं करता है। अतः चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश सं01441213 04 17/90 दिनांक 28 जून 2004 के प्राविधानानुसार पद की संशोषित यांछित शैक्षिक अहर्ता वर्तमान में रिक्त एवं भविष्य में रिक्त पदों पर भर्ती के लिये लागू की आये (शासनादेश की छायाप्रति संलग्न) 6- विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये गये प्रस्ताव में कतिपय संवर्गो जैसे- जनसम्पर्क अधिकारी संवर्ग, समाजशास्त्री (सोशल वर्कर) संवर्ग, नर्सिंग संवर्ग, रसर्च संवर्ग तथा एडमिनिस्ट्रेटिव संवर्ग में		

				एस०जी०पी०जी०आई० में विद्यमान पदों के समतुल्य करते हुये वरिष्ठ सहायक के पद को वेतनमान रू0 5200-20200 ग्रेड पे 2800 से बढ़ाकर वेतनमान रू० 9300-34800 ग्रेड वेतन 4200 के रूप में तथा कनिष्ठ सहायक के वेतनमान को रू0 5200-20200 ग्रेड पे 2000 से बढ़ा कर वेतनमान रू0 5200-20200 ग्रेड पे 2400 के रूप में दिनांक 23.08.2016 से वेतनमान के संदर्भ में वर्तमान में एस०जी०पी०जी०आई० की विद्यमान व्यवस्थानुसार प्रविष्ठियां की गयीं है। जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव संवर्ग के समस्त प्रधान सहायक अपने से कनिष्ठ कर्मचारियों (वरिष्ठ) सहायक से कम ग्रेड वेतन पा रहे हैं एवं समस्त प्रधान सहायकों को दिनांक 23.08.2016 से एस0जी0पी० जी०आई० लखनऊ के समान देय लाभों से वंचित किया गया है। मानकीकरण क0सं059 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार प्रधान सहायक का पद जो असिस्टेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर के संवर्ग के रूप में समायोजित किया गया जिसमें ग्रेड वेतन 4200 के स्थान पर ग्रेड वेतन 4600 निर्धारित किया गया है। उक्त प्रधान सहायक का पद जो असिस्टेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर के संवर्ग के रूप में समायोजित किये गये दिनांक 23.08.2016 से माना जाये तथा इस पद के सापेक्ष दिये जाने वाले समस्त लाभ प्रभावी तिथि से प्रदान किये जाये एवं शासनादेश संख्या जी-2-289/दस-84-302-82 दिनांक 31 मार्च 1984 के अन्तर्गत 22 (बी) में निहित प्राविधानानुसार वेतन निर्धारण किया जाये। लिपिकीय संवर्ग की पदोन्नति के सम्बन्ध में उपरोक्त बिन्दुओं पर न्यायोचित निर्णय लेते हुये प्रशासनिक अधिकारी (वर्तमान में एडमिनिस्ट्रव आफीसर) के रिक्त पदों पर ज्येष्ठता सूची को आधार बनाते हुये के०जी०एम०यू० में एस०जी०पी०जी०आई० की प्रभावी तिथि से नोशनल पदोन्नति करने तथा के०जी०एम०यू० में नव नियुक्त कार्मिकों पर एस०जी०पी०जी०आई० में प्रभावी व्यवस्था के अनुसार पदोन्नति हेतु आवश्यक शैक्षिक अर्हता इत्यादि नियम लागू करने की कृपा करें।		
39.	श्री राजेंद्र कुमार मौर्य	प्रधान सहायक	कन्वेंशन सेंटर	१.उक्त संदर्भित प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 53 से 63 पर इंगित एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर में मानकीकरण में पदवार कुल उपलब्ध पद यथा स्वीकृत पदों, भरे पदो तथा रिक्त पदों का कोई विवरण दर्ज नहीं किया गया है। जबकि शासनादेश संख्या- 1724/71-2-2014- के०जी०एम०यू० / 2014 दिनांक 24 सितम्बर 2014 द्वारा विहित की गयी व्यवस्थाओं के अनुपालन में विश्वविद्यालय के लिपिकीय संवर्ग के पदों का पुनर्गठन निम्नवत् किया गया था प्रशासनिक अधिकारी 35 पद, प्रधान सहायक-58 पद, वरिष्ठ सहायक- 81 पद तथा कनिष्ठ सहायक- 108 पद तत्पश्चात् शासनादेश संख्या- 143/2022/170/712099817-2018 दिनांक 30 नवम्बर	मानकीकरण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 30. 11.2022 में एडमिनिस्ट्रेटिव संवर्ग में पदों की संख्या निर्धारण शासन स्तर पर सुनिश्चित किया गया है। अतः पदों की संख्या

				2022 द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के गैर शैक्षणिक पदों का मानकीकरण करते समय भी शासनादेश के संलग्नक तालिका-5: के कमांक 24 से 32 तक एडमिनिस्ट्रेटिव संवर्ग के पदों का मानकीकरण करते हुए कमांक 29 पर के०जी०एम०यू० में पूर्व सृजित / उपलब्ध 25 प्रशासनिक अधिकारी के पदों को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में कमांक 30 पर पूर्व सृजित प्रधान सहायक के 58 पदों को असिस्टेण्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में, कमांक 31 पर पूर्व सृजित गरिष्ठ सहायक के पदों को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में था कमांक 32 पर कनिष्ठ सहायक के पूर्व सृजित 100 पदों को सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेण्ट के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है। 2. शासनादेश संख्या- 3280771-2-16-आरएम-18/2014 दिनांक 23 अगस्त 2016 के द्वारा किस जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के शिक्षणेतर कार्मिकों को एसजीपीजीआई लखनऊ के विर कर्मचारियों के समान मती हेतु न्यूनतम शैक्षिक एवं अनुभव भर्ती की विधि एव कार्य उत्तरादाविल शासनादेश निर्मत होने की तिथि से अर्थात् दिनांचा 23.08.2016 से समान रखते हुए एस०जी०पी०आई०, लखनऊ के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें अनुगन्ध की गयी जिसके अनुपालन में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 08.11.2016 में लिये गये निर्णय एवं मा० कुलपति जी के • अनुमोदनोपरात दिनांक 23.08.2016 से एम०जी०पी०जी०आई० एवं के०जी०ए०यू० में विद्यमान समान पदों को बेतनमान स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 16.14 में शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति / पदोन्नति हेतु निम्नवत् संशोधन किया जा चुका -The Services of non-teaching employees of the University shall be governed by respective service rules prepared by the University and approved by the Government of Uttar Pradesh. However, till such rules are finalized, the service conditions- qualification, experience, pay scales, allowances and other facilities admissible to the non-teaching employees of the University shall be same as admissible to the non-teaching employees of the Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences. Lucknow. जो के०जी०एम०यू० पर दिनांक 14 नवम्बर 2018 से ही प्रभावी है।	वर्तमान में प्रभावी शासनादेश के अन्तर्गत ही सुनिश्चित की गयी है। 2. शासनादेश दिनांक 23 अगस्त, 2016 के क्रम में के0जी0एम0यू0, लखनऊ के लिपिकीय संवर्ग में विद्यमान समान पदों को एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ की भाँति सुनिश्चित किया जा चुका है।	

				3. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड किये गये प्रस्ताव में कतिपय संवर्गों यथाः समाजशात्री (सोशल वर्कर) सवर्ग, नर्सिंग संवर्ग, रिसर्च संवर्ग आदि में विद्यमान पदों के वेतनमान एवं पदनाम तथा उनकी अर्हता के संदर्भ में एस०जी०पी०जी०आई० लखनऊ में अहंता आदि के सदर्भ में विद्यमान व्यवस्थानुसार प्रविष्ठिया की गयी है। परन्तु एडमिनिस्ट्रेटिव संवर्ग के पदों के संदर्भ में ऐसा नहीं किया गया है तथा कतिपय पदों के वेतनमान आदि जिन्हें पूर्व में ही शासनादेश संख्या-3288/71-2-16-आरएम0-18/2014 दिनांक 23 अगस्त 2016 के अनुपालन में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के अनुमोदन से कुलसचिव के०जी०एम०यू० के कार्यालय आदेश संख्या-807 / गैर १०अधि एवं पेंशन अनु0 / 2017 दिनांक 15.09.2017 द्वारा दिनांक 23.08.2016 से एस०जी०पी०जी०आई० के अनुरूप पुरीक्षित किया जा है। उदाहरण के तौर पर वरिष्ठ सहायक के पद के वेतनमान एवं ग्रेड में को दिनांकः 23:08 2016 से बेतनमान सं0 9300-34800 पैड पे 4200 के रूप में तथा कनिष्ठ सहायक के वेतनमान को रू0 5200-20200 से 2000 के रूप में पुनरीक्षित किया जा चुका है परंतु एसजीपीजीआई के प्रधान सहायक को पुरीक्षित नहीं किया गया है।	3. एडमिनिस्ट्रेटिव संवर्ग में कार्यरत कार्मिक वरिष्ठता क्रम में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्राप्त कर चुके है तथा वर्तमान में शासनादेश दिनांक 23 अगस्त, 2016 के क्रम में ग्रेड वेतन रू0 5400/- प्राप्त कर रहे है। अतः भविष्य में पदोन्नति हेतु शैक्षिक अर्हता को अनिवार्य किया गया है।	
				4. वेबसाईट पर अपलोड विश्वविद्यालय के मानकीकरण प्रस्ताव के कांक 58 पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के OB गरे पदों को नवगठित संरचना में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर समायोजित दर्शाया जा रहा है। जबकि वर्तमान में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारियों में से 03 कक्ष श्री अरविन्द कुमार मौर्या, श्री आदर्श कुमार एवं श्री अस्तर अस (शैक्षिक आता इण्टरमीडिएट) तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिक है जिनका आज की तिथि तक विनियमितिकरण नहीं हुआ है। जबकि श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह (शैक्षिक, अर्हता-इण्टरमीडिएट) एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद हेतु वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करते हैं। 5. इसी प्रकार क्रमांक 59 पर प्रधान सहायक के पद पर वर्तमान समय में कार्यरत कुल 37 कार्मिकों को असिस्टेण्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर	4. मानकीकरण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 30.11.2022 में प्रधान सहायक के 58 स्वीकृत पदों के सापेक्ष मात्र 38 पदों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। संवर्ग में उल्लिखित पद पर कार्यरत कार्मिक को नवीन संवर्गीय संरचना में उपलब्ध पदानुसार पदनामित किया जा रहा है। संवर्ग में वांछित शैक्षिक योग्यता एवं	

				समायोजित दर्शाया गया है। जबकि वर्तमान में कार्यरतु 37 प्रधान सहायकों में से 08 प्रधान सहायक कमश श्री विनित कुमार सक्सेना, श्री ब्रह्म प्रकाश पाण्डेय, श्रीमती पूनम बौहान, श्री गौरव श्रीवास्तव, श्री आदर्श श्रीवास्तव, श्री संदीप मिश्रा, सुश्री / श्रीमती मीना कुमारी, श्री विनय कुमार वर्मा एसजी०पी०जी०आई० के अनुसार असिस्टेण्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद हेतु वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पारित नहीं करते है इन सभी कार्मिकों की उच्चतम शैक्षिक अहंता केवल है। इसी प्रकार 05 प्रधान सहायक कमशः श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा, श्री मनोज कुमार सिंह, श्री अनिल कुमार अवस्थी श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय श्री सुशील तिवारी तदर्थ नियुक्तिधारी है, जिनका आज की तिथि तक विनियमितीकरण नहीं हुआ है। 6. प्रश्नगत मानकीकरण प्रस्ताव के बिन्दु 61 पर वर्तमान समय में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत कुल 76 कार्मिकों को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पर समायोजित दर्शाया गया है। जबकि वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत कुल 76 कार्मिकों में से 06 कार्मिक कमशः श्रीमती नजमा रहमान खान, श्रीमती फरहत जहाँ, श्री राम आसरे श्री राजेन्द्र मिश्रा एवं श्री बलसंग जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर समायोजन हेतु वांछित न्यूनतम शैक्षिक अहंता चारित नहीं करते है। इसके अतिरिक्त 12 कार्मिक क्रमश श्री संजय त्रिपाठी, श्री प्रभाकर सिंह, श्रीमती मोनिका यादव श्री अनुराग श्रीवास्तव, शैलेन्द्र सिंह रावत, श्री चन्द्र भूषण सिंह श्री नवीन वर्मा, श्री प्रवीन गोस्वामी, श्री राज कुमार श्री सुनील कुमार पनौजिया, श्रीमशी प्रकृति शुक्ला एवं श्री रामकुमार प्रसाद रिकॉर्ड कीपर / मेडिकल रिकॉर्ड कीपर है, जिन्हें नियम के विपरीत लिपिक संवर्ग में विलीन किया गया है जबकि हेतु नियंत शासनादेश संख्या- 143/ 2022/170/71-2-20209- 817- 2019 दिनांक 30 नवम्बर, 2022 द्वारा किये गये मानकीकरण में मेडिकल रिकॉर्ड कीपर का संवर्ग पृथक से दिया गया है तथा रिकॉर्ड कीपर एवं लिपिक संवर्ग के पद विभिन्न शासनादेशों द्वारा पृथक-पृथक सृजित किये गये है इनके विरूद्ध नियुक्ति प्रक्रिया भी अलग-अलग समितियों के माध्यम से अलग-अलग समय पर सम्पत्त हुई है। 7 उ०प्र० सरकारी सेवक जोष्ठता नियमावली, 1991 द्वारा विहित किये गये उपबंध के अनुसार: तदर्थ से नियुक्त कार्मिकों की जोष्ठता की अवधारणा	अर्हता के आधार पर ही पदोन्नति किया जाना प्रस्तावित है। बिन्दु संख्या-5.1 से 5.5 तक की आपत्ति वरिष्ठता को लेकर है जबकि उक्त प्रस्ताव नवीन संवर्गीय संरचना का है।	

				उनके विनियमितीकरण की तिथि से किये जाने का प्राविधान है तथा तदर्थ नियुक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली 1979 यथासंशोधित द्वारा विहित की गयी व्यवस्थानुसार तदर्थ नियुक्तियों का पूर्वगामी तिथि से विनियमितीकरण किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। 8. वी श्रीनिवास रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1994 (5) एस0एल0आर0 715 में निर्मित निर्णवाज विधियों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि तदर्थ नियुक्ति युक्तियुक्त तरीके से नियमानुसार की गयी नियुक्ति नहीं होती है. अतः ऐसी नियुक्ति के आधार पर की गयी अस्थाई सेवा (को ज्येष्ठा निर्धारण के लिए आगमित नहीं किया जा सकता। 9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित विभिन्न निर्णयाज विधियों को अग्रीकार करते हुए उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठा नियमावली, 1991 के भाग-3 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि ज्येष्ठता का निर्धारण मौलिक नियुक्ति की तिथि से ही किया जायेगा। तदर्थ सेवक की ज्येष्ठता नियमानुसार नियमित चयन के उपरात नियुक्ति की तिथि से आगणित की जायेगी। इसके अतिरिक्त ज्येष्ठता नियमावली में यह भी स्पष्ट सिद्धांत दिया गया है कि किसी सेवक के नियमित रूप से नियुक्त होने के उपरांत उसकी नियुक्ति की तिथि से ही ज्येष्ठता का निर्धारण किया जायेगा, उसके स्थायीकरण की तिथि से नहीं। इसके अतिरिक्त ज्येष्ठता नियमावली के भाग-3 में माननीय उच्चतम न्यायालय के अंगीकार किये गये सिद्धांतों में यह सिद्धांत भी अंगीकार किया गया है कि नियमों में नियत प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना की गयी तदर्थ नियुक्ति के उपरांत तदर्थ सेवक का नियमित चयन हो जाने पर तदर्थ सेवक की सेवा अवधि को ज्येष्ठता निर्धारण के लिए आगणित नहीं किया जायेगा। 10 30प्र0 (लोक सेवा आयोग के बाहर के क्षेत्र के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली- 1979 यथासंशोधित के नियम में इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इसके अनुसार प्रयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से का हकदार होगा और भी मामलों में, इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व नगरा सेवा नियमों या यथास्थित नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा। 11. लिपिक संवर्ग के कतिपय कार्मिकों द्वारा निरंतर लिपिक संवर्ग से तदर्थ नियुक्ति वाले कार्मिकों को पृथक करते हुए पुनः संशोधित वरिष्ठता निधारण किये जाने की मांग की जाती रही है। इस सदमे में माननीय कुलपति जी के	(6) 1,2,3,4,5,6 संवर्ग में पदोन्नति हेतु अलग से चयन समिति गठित करते हुए अर्ह कार्मिकों की योग्यता एवं अनुभव के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी स्तर से निर्णय लिया जाने की संस्तुति की जाती है। रिकार्ड कीपर/मेडिकल रिकार्ड कीपर के पदों को पृथक किये जाने का प्रकरण प्रशासनिक स्तर का है और सम्बन्धित प्रकरण मा0 न्यायालय में लम्बित है। अतः अन्तिम निर्णय मा0 न्यायालय के आदेशों के अधीन होगा।	

				अनुमोदन से कुलसचिव, केजीएमयू के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 165/ई-2021 दिनांक 20.10.2021 द्वारा माननीय उप-कुलपति की अध्यक्षता में एक 05 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी संस्तुतियां भी दिनांक 26.10-2021 को प्रस्तुत की जा चुकी है। परन्तु वर्तमान समय तक इस पर अग्रेतर कार्यवाही विलम्बित है। 12. भारत संघ बनाम एम० रवि वर्मा ए०आई०आर० 1972 एस०सी० 670, डी०पी० शर्मा बनाम भारत संघ • ए०आई०आर० 1989. एस०सी० 1071 पी० मोहन रेड्डी बनाम ई० एसएस चार्ल्स एआईआर 2001. एस०सी० 1210) एवं निरंजन प्रसाद सिन्हा बनाम भारत संघ (2001) 5 एस०सी०सी० 564 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि किसी कर्मचारी को अपनी ज्येष्ठता अपनी नियुक्ति की तिथि को प्रवृत्त नियमों के अनुसार, अवधारित कराने का अधिकार प्राप्त होता है।	यह कार्य पदोन्नति समिति द्वारा नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।	
				13. लम्बे समय से लिपिक संवर्ग में पद रिक्त होते हुए भी पदोन्नति नहीं की गयी है। इस संदर्भ में विशेष संचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग 2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 17 नवम्बर 2022 द्वारा केजीएमयू के गैर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पदोन्नति केजीएमयू अधिनियम एवं परिनिमावली में दी गयी व्यवस्था एवं सुसंगत शासनादेशों के आलोक में करने के स्पष्ट निर्देश दिये गये थे परन्तु विश्वविद्यालय प्रशासन स्तर से पद रिक्त होते हुए भी लिपिक संवर्ग की वरिष्ठता सूची से तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों एव रिकॉर्ड कीपर / मेडिकल रिकॉर्ड कीपर को पृथक करते हुए लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हुई और न ही मानकीकरण करते समय वरिष्ठता के अनुसार नोशनल पदोन्नति प्रदान करते हुए समायोजन प्रदान किया गया है, जिसके कारण वेबसाईट पर अपलोड किये गये प्रस्ताव में उन्हें वर्तमान मानकीकरण में समस्त अपेक्षित अर्हताएं पूर्ण करने के उपरांत भी निम्न स्तर पर समायोजन प्रदान किया गया है. इससे कर्मचारियों की प्रगति में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। उपरोक्त प्रकाशित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड किये ये माननकीकरण प्रस्ताव पर निम्नलिखित आपत्तियां एवं सुझाव है- 1 के०जी०एम०यू० के शिक्षणेत्तर कार्मिकों पर एस०जी०पी०जी०आई० के कार्मिकों पर लागू, सेवा नियमावली दिनांक 14 नवम्बर 2018 से ही प्रभावी है। अत: मानकीकरण में केवल उन्हीं कार्मिकों को सम्मिलित करते हुए उनका	यह कार्य पदोन्नति समिति द्वारा नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।	

				मानकीकरण एवं पदोन्नति की जाये जो एसजी०पी०जी०आई० में प्रभावी व्यवस्था के अनुसार वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं कार्य अनुभव रखते हो, शेष कार्मिकों की पृथक सूची बनाते हुए उन्हें अपेक्षित अर्हता प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाये तथा अपेक्षित अर्हता पूर्ण करने के उपरात ही उनका समायोजन एवं पदोन्नति प्रदान की जाये। 2 लिपिक सर्वर्ग की वरिष्ठता सूची से रिकार्ड कीपर एवं तदर्थ नियुक्ति वाले सभी कार्मिकों को पृथक करते हुए संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाये। 3 शासनादेश संख्या-685/71-3-2003: सी०एम०यू० -31/2002 दिनांक 03 गई 2003 द्वारा के०जी०एम०यू० (पूर्ववर्ती सी०एस०एम०ए०यू०) द्वारा विभिन्न कार्यालयों हेतु रिकॉर्ड कॉपर के 12 पद तथा कनिष्ठ लिपिक के 16 पदों का सृजन अलग-अलग किया गया है तथा इन्हें अलग-अलग विज्ञापित करते हुए अलग-अलग चयन समितियों के माध्यम से चयन प्रक्रिया भी पूर्ण की गयी। इसी प्रकार शासनादेश संख्या 3168 / 713-04- के. जी. डी. - 2/2004 दिनांक 29 दिसम्बर 2004 द्वारा किंग जार्ज दत्त विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु मेडिकल रिकॉर्ड कीपर के 02 तथा कनिष्ठ लिपिक के 23 पदों का सृजन किया गया था। जिन्हें अलग-अलग विज्ञापित करते हुए अलग-अलग घयन संगितियों के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण की गयी। इन्हें बिना लिपिक सवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की आपत्ति प्राप्त किये तथा बिना शासन की अनुमति प्राप्त किये लिपिक संवर्ग में नियम विरूद्ध संविलिन कर दिया गया, जिससे लिपिक वर्ग के कार्मिकों की वरिष्ठता प्रभावित हो रही है तथा उन्हें अपूर्णीय क्षति हो रही है। अतः लिपिक संवर्ग की वरिष्ठता सूची से रिकॉर्ड कीपर एवं मेडिकल रिकार्ड कीपर को पृथक कर उन्हें मानकीकरण में दिये गये मेडिकल रिकार्ड कीपर में सम्मिलित किया जाये तथा लिपिक संवर्ग की संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार मानकीकरण की कार्यवाही की जाये। 4 लिपिक संवर्ग के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी के 17 प्रधान सहायक के 21 तथा वरिष्ठ सहायक के 05 पद पहले से ही रिक्त है, पद रिक्त होते हुए भी कार्मिकों को पदोन्नति से वंचित रखा गया है जबकि इस संदर्भ में उ0प्र0 शासन द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 17 नवम्बर 2022 द्वारा कार्मिकों की पदोन्नति विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियमावली एवं सुसंगत शासनादेश द्वारा विहित की गयी व्यवस्थाओं के अनुसार किये जाने के स्पष्ट निर्देश पूर्व में ही दिये गये है। अत इन पदों पर उपरोक्त प्रसार 2 से 3 पर वर्णित	की गई आपत्ति मानकीकरण समिति से आच्छादित नहीं है। यह कार्य पदोन्नति समिति द्वारा नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।	

				विवरणानुसार संशोचित वरिष्ठता सूची जारी कसी हुए तदनुसार न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं कार्य अनुभव रखने वाले कार्मिकों को नौशनल पदोन्नति देते हुए मानकीकरण किया जाये। 5 प्रश्नगत प्रस्ताव में कही पर भी यह उल्लिखित नहीं किया गया है कि जिन कार्मिकों को विगत एक दशक से भी अधिक समय से कोई पदोन्नति नहीं प्रदान की गयी उनके द्वारा प्राप्त किये गये अनुभवी का आगणन भविष्य में प्रदान की जाने वाली पदोन्नतियों में अनुभव लाभ के रूप में प्रदान किया जायेगा अथवा नहीं।		
40.	श्री आदर्श कुमार श्रीवास्तव	प्रधान सहायक	कुलसचिव कैंप कार्यालय	1. शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर 2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत एम०सी० आई०एन०एम०सी० मानकों के अन्तर्गत शासनादेश निर्गत किया गया है। अतः उक्त पदों पर बांछनीय शैक्षिक योग्यताएं एम०सी०आई०एन०एम०सी० मानक के अनुसार तत्काल प्रभाव से निर्धारित की जानी चाहिए न की पूर्वगामी तिथि से 2. चूंकि शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर, 2022 की व्यवस्था को स्वीकार किये जाने के पूर्व से ही दिनांक 23 अगस्त, 2016 के क्रम में एडमिनिस्ट्रेटिव संवर्ग के कुछ पदों को एस०जी०पी० जी०आई० का लाभ प्रदान किया जा चुका है परन्तु प्रमान सहायक के पदों को उक्त लाभ से वंचित रखा गया है जिस कारण उक्त पद पर कार्यरत कार्मिकों को एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ का लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है अतः एडमिनिस्ट्रेटिव संवर्ग के सभी पदों की समानता के आधार पर एस0जी0पी0जी0आई0 के वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाए। तदोपरान्त ही संवर्गीय पुनर्गठन किया जाए. जैसे कनिष्ठ सहायकों को रू० 2000/- के ग्रेड वेतन से रू0 2400/-, वरिष्ठ सहायकों को ग्रेड रू० 2800/- से वेतनमान रू0 4200/- एवं प्रशासनिक अधिकारियों को रू0 4600/- के ग्रेड वेतन से ग्रेड वेतन रु0 5400/- का वेतनमान दिनांक 23 अगस्त, 2016 से प्रदान किया गया है। उसी भाँति प्रधान सहायकों को भी दिनांक 23 अगस्त, 2016 से रू0 4200/- के ग्रेड वेतन से रू0 4600/- का ग्रेड वेतन दिनांक 23 अगस्त, 2016 से निर्धारित किया जाय। एडमिनिस्ट्रेटिव संवर्ग में कार्यरत सभी कार्मिकों को एस०जी०पी०जी०आई० लखनऊ के वेतन की समानता प्राप्त होने के उपरान्त ही संवर्गीय पुनर्गठन सुनिश्चित किया जाय। संज्ञान में लिया जाना आवश्यक है कि संवर्ग के सभी पदों को एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ की भाँति भत्तों की स्वीकृति पूर्व से ही प्रदान हो चुकी है। 3. शासनादेश में संलग्न तालिका -5 में उल्लिखित सूची में जो पद जिस स्थान पर रखे गये है उनको उसी स्थान पर समायोजित किया जाय।	1, 2 की गयी आपत्ति मानकीकरण समिति से आच्छादित नहीं है। नियुक्ति प्राधिकारी स्तर से अलग से निर्णय लिया जाये। 3. संवर्गीय संरचना मानकीकरण शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्थाओं के	

				4. समायोजन के फलस्वरूप यदि संवर्ग में उच्चतर पदों पर पदोन्नति हेतु अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है तो सम्बन्धित कार्मिक का पद रिजर्व रख कर पदोन्नत्तियों की जाय। 5. किसी भी कार्मिक की वरिष्ठता प्रभावित न हो इसको भी संज्ञान में लिया जाय। 6. सम्बन्धित शासनादेश में एडमिनिस्ट्रेटिव संवर्ग का प्रारम्भिक स्तर का भर्ती के पद का उल्लेख नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में शासन से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया जाय साथ ही शैक्षिक योग्यता एवं भर्ती का स्रोत ज्ञात होने के उपरान्त ही नवीन व्यवस्थाओं को प्रभावी किया जाय।	अन्तर्गत की गयी है। 4. इस सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी स्तर से निर्णय लिया जाये। 5. नवीन संवर्गीय संरचना मानकीकरण की व्यवस्थाओं के अनुरूप की गयी है। इसका वरिष्ठता में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। 6. इस सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी स्तर से निर्णय लिया जाये।	

Prof. Sandeep Bhattacharya Chairperson	**Prof. Avinash Agrawal** Member	**Prof. Suresh Kumar** Member	**Dr. Kaleem Ahmad** Member
Smt. Priyanka Dwivedi Member (Finance)	**Shri Vikas Singh** President (KGMU, Employees Counsel)	**Shri Anil Kumar** Secretary (KGMU, Employees Counsel)	